प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0

चतुर्थतल, पिकपभवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226 010

फोन:2720718, फैक्स:2720837 Toll Free No 1800-1800-118

Email: updasp12@Gmail.com website: www.updasp.org.

पत्रांकः ५४४/27//यूपीएग्रीज/मत्स्य पालन/2026-27 **दिनांकः-** [illegible] जुलाई 2026

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना प्रबंधक (DPM),

यूपी एग्रीज परियोजना,

(गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा एवं बांदा)

विषयः यू0पी0एग्रीज परियोजना अंतर्गत *"क्लस्टर आधारित तालाबों में अर्ध-सघन मत्स्य पालन परियोजना"* हेतु तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

यू0पी0एग्रीज परियोजना के अंतर्गत क्लस्टर आधारित तालाबों में अर्ध-सघन मत्स्य पालन परियोजना के प्रभावी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) परियोजना निदेशक/कृषि उत्पादन आयुक्त के स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न एस०ओ०पी० का गहन अध्ययन करते हुए उसमें उल्लिखित समस्त दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं, समय-सीमा, तकनीकी मानकों एवं संचालन व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें—

1. जनपद स्तर पर परियोजना से जुड़े समस्त अधिकारियों, तकनीकी कार्मिकों, उपप्रबंधक (मत्स्य), सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (SO) तथा अन्य संबंधित हितधारकों को एस०ओ०पी० से अवगत कराया जाए।
2. क्लस्टर गठन, लाभार्थी चयन, तालाब चयन, मत्स्य बीज एवं पूरक आहार की व्यवस्था, प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं अन्य समस्त गतिविधियाँ एस०ओ०पी० में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना के प्रत्येक चरण में निर्धारित समय-सीमा एवं गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमित प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रगति सुनिश्चित की जाये।
4. किसी प्रकार की कठिनाई अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पी०एम०यू) से तत्काल समन्वय स्थापित किया जाए।
5. एस०ओ०पी० के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सहयोग प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए।

संलग्न एस०ओ०पी० का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए, जिससे परियोजना के निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

संलग्नकः- मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०)।

भवदीय,

(प्रत्यूष पाण्डेय)

अपर परियोजना समन्वयक

यू0पी0-एग्रीज/यू0पी0-डास्प

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महानिदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ।
3. संबंधित जिलाधिकारी, यू०पी०एग्रीस परियोजना से सम्बंधित जनपद।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद।
5. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जनपद।
6. पी०एम०यू० यू०पी०एग्रीस परियोजना के समस्त विशेषज्ञगण।

अपर परियोजना समन्वयक
यू०पी०-एग्रीज/यू०पी०-डास्प

क्लस्टर आधारित तालाबों में अर्द्धसघन मत्स्य पालन परियोजना

दिशा–निर्देश/गाइडलाइन्स

जलीय कृषि एवं मत्स्य पालन वार्षिक उत्पादन आधारित गतिविधियाँ हैं, जिनका संचालन मत्स्य वर्ष (जुलाई से जून) के अनुसार किया जाता है। परियोजना के अंतर्गत सफल उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु आगामी उत्पादन चक्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियों का नियोजित, समयबद्ध एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

तालाब आधारित मत्स्य गतिविधियों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर किया जाएगा, जो जल संसाधनों की उपलब्धता, भौगोलिक निकटता तथा तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर चयनित होंगे। परियोजना के अंतर्गत 10 से 20 हे० तक के व्यवहार्य जलक्षेत्र को, जो अधिकतम 2–3 कि.मी. की परिधि में स्थित हों, एक "क्लस्टर" के रूप में विकसित किया जाएगा।

1. तालाब आधारित मत्स्य क्लस्टर गठन की प्रक्रिया

क्लस्टरों में सामुदायिक एवं निजी तालाब सम्मिलित होंगे, जिन्हें मत्स्य उत्पादक समूहों (FFPGs) के माध्यम से सामूहिक रूप से संचालित किया जाएगा। सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (SO) स्टाफ द्वारा प्रथम वर्ष की गतिविधियों के संचालन के साथ–साथ द्वितीय वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष क्लस्टर गठन की अग्रिम कार्यवाही समानान्तर रूप से की जायेंगी। इसी प्रकार SO टीम द्वारा अग्रिम रूप से तृतीय वर्ष हेतु क्लस्टर गठन के लिए कार्यवाही दूसरे वर्ष के क्लस्टर संचालन के साथ–साथ समानान्तर तरीके से की जायेगी। सपोर्ट आर्गेनाइजेशन टीम द्वारा प्रत्येक वर्ष की गतिविधियों को पूर्ण कराने के उपरान्त सम्बन्धित क्लस्टरों को अनुवर्ती वर्षों में भी कार्यशील एवं सक्रिय रखने के लिए उनकी हैण्ड होल्डिग और निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। समूह का संचालन उपविधि/गाइडलाईन के अनुसार किया जायेगा, जो संलग्न है।

परियोजना के प्रथम वर्ष हेतु उपरोक्त व्यवस्था प्रभावी रहेगी किन्तु परियोजना के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी चयन एवं क्लस्टर निर्माण क्रमशः प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परियोजना गतिविधियों के संचालन के साथ–साथ समानान्तर एवं अग्रिम रूप से परियोजना के फील्ड स्टॉफ द्वारा सुनिश्चित की जाएगी

2. लक्षित तालाब एवं इकाई मानक

- पट्टे पर लिए गए सामुदायिक तालाब,एवं निजी तालाब
- सामुदायिक/निजी तालाब : न्यूनतम 0.2 हे० और उससे बड़े तालाब
- जल गहराई : 1.0–2.0 मीटर (न्यूनतम 1.0 मीटर)
- सुनिश्चित जल उपलब्धता : (वर्षा, अतिरिक्त स्रोत)
- उत्पादन अवधि : 1–10 माह

2.1 वर्षवार तालाब आधारित मत्स्य विकास का लक्ष्य

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
वर्ष–1	4140
वर्ष–2	7500
वर्ष–3	8340

3. जनपदवार एवं वर्ष वार संभावित तालाब क्लस्टर गठन का विवरणः–

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	कुल समूह
1	जौनपुर	20	30	30	80
2	चंदौली	10	20	20	50
3	वाराणसी	10	20	20	50
4	गाजीपुर	20	25	25	70
5	मिर्जापुर	10	10	10	30
6	भदोही	10	15	15	40
7	सोनभद्र	10	15	15	40
8	जालौन	10	10	10	30
9	ललितपुर	5	10	10	25
10	झांसी	10	20	20	50
11	गोरखपुर	20	40	40	100
12	महाराजगंज	20	40	40	100
13	कुशीनगर	10	20	20	50
14	देवरिया	20	20	20	60
15	बलिया	10	20	20	50
16	मऊ	10	20	20	50
17	आजमगढ़	20	40	40	100
18	संत कबीर नगर	10	20	30	60
19	बस्ती	10	30	40	80
20	सिद्धार्थनगर	20	30	30	80
21	बांदा	10	20	20	50
22	चित्रकूट	10	10	20	40
23	हमीरपुर	10	10	20	40
24	महोबा	10	10	20	40
25	बहराइच	10	30	40	80
26	बलरामपुर	10	30	30	70
27	श्रावस्ती	10	30	30	70
28	गोंडा	10	30	40	80
—	**कुल योग**	**345**	**625**	**695**	**1665**

- कुल क्लस्टर : 1,665
- लाभार्थी किसान : 33,300
- कुल क्षेत्र : 19,980 हे०
- अतिरिक्त 20 हे० स्पिलओवर मिलाकर कुल 20,000 हे०

4. चरणबद्ध गतिविधियाँ

4.1 चरण 1: पूर्व–सीजन योजना एवं समूह गठन (मार्च–मई)

- तालाब सूचीकरण एवं क्लस्टरवार योजना।
- FFPG सदस्यों का समूह गठन।
- तालाब तैयारी एवं इनपुट (मत्स्य बीज एवं पूरक आहार) की आवश्यकता का निर्धारण।
- बीज स्रोत एवं हैचरी चयन।

सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (SO) स्टाफ को मत्स्य घटक के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा क्रियान्वयन ढांचे के संबंध में अवगत कराने के लिए उनका ओरिएंटेशन किया जाएगा। SPMU द्वारा मत्स्य

विभाग, उ0 प्र0 से जिला एवं विकास खण्डवार तालाबों एवं अन्य जल निकायों से संबंधित मूलभूत एवं प्राथमिक प्राप्त संकलित आँकड़े एवं रिमोट सेंसिंग/सैटेलाइट आधारित डाटा DPIU एवं SO टीम को उपलब्ध कराए जाएंगे। SO स्टाफ द्वारा क्लस्टर गठन के लिए स्थलीय सत्यापन, फील्ड सर्वे एवं मैपिंग करते हुए लाभार्थी चयन एवं क्लस्टर का गठन परियोजना के चयन मानदंड के अनुसार किया जाएगा। परियोजना हेतु चयनित तालाब का सम्बन्धित मत्स्य पालक के साथ जी0पी0एस0 युक्त फोटोग्राफ सपोर्ट आर्गनाइजेशन के सदस्य द्वारा संकलित करते हुए डी0पी0आई0यू0 कार्यालय को अभिलेखार्थ सुरक्षित करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

4.1.1 FFPG सदस्य चयन मानदंड

FFPG सदस्य/लाभार्थी के चयन हेतु जनपद स्तर पर संबंधित जिला प्रोजेक्ट मैनेजर (DPM) की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सहायक निदेशक मत्स्य/जिला मत्स्य अधिकारी (सदस्य), जिला कृषि अधिकारी (सदस्य) एवं डिप्टी फिशरीज मैनेजर (सदस्य सचिव) होंगे। सदस्य चयन के मानदंड निम्न होंगे।

- सामुदायिक तालाबः न्यूनतम 0.2 हे०, जिसमें न्यूनतम 08 माह पानी रूक सके।
- निजी तालाबः न्यूनतम 0.2 हे०, जिसमें पर्याप्त पानी रूकता हो एवं आवश्कतानुसार जलापूर्ति के स्थानीय साधन हों।
- सामुदायिक तालाब के पट्टाधारी के पास न्यूनतम 5 वर्ष शेष पट्टा अवधि।
- तालाब विवाद रहित और प्रदूषण तथा अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए और जहां आसानी से पहुंचा जा सके।
- अन्य योजना का समान लाभ प्राप्त व्यक्ति अपात्र होगा। संग्लन परिशिष्ट–3 के अनुसार शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- सक्रिय, जिम्मेदार एवं सहयोगी मत्स्य पालक।
- किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य में व्यक्ति वांछित नही होना चाहिए।
- किसी बैंक का ऋण डिफॉल्टर न हो।
- महिला सहभागिता को प्रोत्साहन।

जिला प्रोजेक्ट मैनेजर (DPM) द्वारा FFPG सदस्य/लाभार्थी का विवरण पोर्टल पर फीड कराया जायेगा।

4.1.2 क्लस्टर का गठन

- चयनित गाँवों में, क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा हितग्राही मछली किसानों की पहचान इस प्रकार की जाएगी कि 2 किमी की त्रिज्या (आवश्यकता होने पर 3 किमी तक विस्तार योग्य) के भीतर 10–12 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाला एक क्लस्टर (समूह) गठित हो, जिसमें प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 20 मछली किसान सम्मिलित हों।
- यथोचित प्रयास किए जाएंगे कि सभी क्लस्टर आपस में सुलभ मार्गों द्वारा परस्पर जुड़े हों, जिससे आवागमन में सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
- क्लस्टर में कुल 10 से 12 हे0 तक के जलक्षेत्रों को लक्षित किया जायेगा, किंतु क्लस्टर में 20 से अधिक सदस्य नही बनाये जायेगें।
- क्लस्टर गठन के लिए इच्छुक व्यक्तियों को सदस्य बनाने के लिए उनको प्रेरित करते हुए परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों

सहित उनके साथ बैठकों का आयोजन करते हुए क्लस्टर गठन की कार्यवाही की गाइडलाईन के अनुरूप की जायेगी।

- क्लस्टर गठन के समय सदस्यों की वर्तमान आजीविका का स्त्रोत एवं उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का भी आकलन किया जायेगा।
- क्लस्टर के सदस्यों के नजदीकी बैंक शाखा में सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए और यदि बैंक खाता नही हो तो उस व्यक्ति का खाता खोलवाने में SO स्टाफ द्वारा सहयोग किया जायेगा।

जनपद के DPM द्वारा FFPG सदस्य/लाभार्थी के चयन उपरान्त गठित क्लस्टरों **की PMU को अनुशंसा की जाएगी और अंतिम निर्णय PMU द्वारा लिया जाएगा।**

4.2 चरण 2: संचयन एवं उत्पादन हेतु तालाब तैयारी एवं आधारभूत संरचना (मई–जून)

4.2.1 तालाब की तैयारी

- गाद एवं कचरा हटाना।
- तालाब के तल की हल्की जुताई।
- तालाब को धूप में सुखाना।

4.2.2 अवांछित जीव नियंत्रण

- भक्षी/अनुपयोगी मछली को तालाब से निकालना।
- जलीय खरपतवार का नियंत्रण।
- आवश्यकता अनुसार कीटाणुशोधन।

4.2.3 संरचनात्मक सुधार

- मेड़ सुदृढ़ीकरण।
- रिसाव रोकना।
- इनलेट–आउटलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

4.2.4 जल गुणवत्ता तैयारी

- तालाब की मिट्टी की जांच करना।
- पी एच अनुसार चूना प्रयोग।
- जैविक खाद प्रयोग।
- तालाब में जल भराव।

4.3 चरण 3: इनपुट व्यवस्था (अगस्त–सितंबर)

4.3.1 बीज क्रय

- मत्स्य बीज की आपूर्ति प्रथम वरीयता पर उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ से कराया जायेगा। इस हेतु निगम से अग्रिम कार्ययोजना प्राप्त करते हुये, म०ओ०यू० निष्पादित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। निगम से मत्स्य बीज की उपलब्धता न होने की दशा में जिला/मंडल स्तर पर चिन्हित शासकीय एवं निजी हैचरियों/नर्सरियों से डी०पी०आई०यू० द्वारा प्रचलित क्रय नियमों के अंतर्गत क्रय की कार्यवाही सम्पादित कर मुख्यालय से अनुमोदन लिया जायेगा।
- मत्स्य बीज का मांगपत्र डी0पी0आई0यू0 के स्तर से अग्रिम रूप से आंकलित कर तैयार कर मुख्यालय के अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया जाएगा।

- स्वस्थ एवं समान आकार का उन्नतशील मत्स्य बीज की आपूर्ति न्यूनतम परिवहन तनाव के साथ सुनिश्चित की जाएगी।

4.3.2 फॉर्मुलेटेड मत्स्य आहार व्यवस्था

- PMU द्वारा केंद्रीकृत खरीद।
- SO द्वारा क्लस्टरवार मांग निर्धारण।
- DPIU के माध्यम से वितरण।

4.4 चरण 4: संचयन एवं उत्पादन चरण (अगस्त से आगे)

- गुणवत्तायुक्त बीज संचयन।
- नियमित आहार एवं जल प्रबंधन।
- रोग निगरानी।
- वृद्धि परीक्षण।

5 मत्स्य बीज एवं फॉर्मुलेटेड मत्स्य आहार आपूर्ति प्रबंधन

अर्ध–सघन मत्स्य पालन प्रणाली में गुणवत्तायुक्त एवं समय पर मत्स्य बीज की उपलब्धता एवं संतुलित एवं वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया फॉर्मुलेटेड फिश फीड तालाब आधारित मत्स्य उत्पादन की सफलता का प्रमुख आधार है। इस उद्देश्य से बीज एवं फॉर्मुलेटेड फिश फीड की आपूर्ति की प्रक्रिया को क्लस्टर–विशिष्ट मांग, तकनीकी मानकों एवं पारदर्शी खरीद प्रणाली के आधार पर संचालित किया जाएगा, ताकि:

- प्रत्येक क्लस्टर को आवश्यक मात्रा गें इनपुट (स्वस्थ बीज एवं फॉर्मुलेटेड फिश फीड) उपलब्ध हो सके।
- समय पर मत्स्य बीज संचयन एवं पोषण आवश्यकता सुनिश्चित हो सकें।
- उच्च जीवितता दर प्राप्त हो सके।

5.1 बीज आवश्यकता का आंकलन

- प्रत्येक क्लस्टर की बीज आवश्यकता का आंकलन सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (SO) के फील्ड स्टाफ द्वारा किया जाएगा।
- आंकलन SPMU द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों (स्टॉकिंग घनत्व, प्रजाति संरचना, क्षेत्रफल आदि) के अनुसार किया जाएगा।
- क्लस्टरवार जल क्षेत्र, प्रजाति संयोजन एवं स्टॉकिंग घनत्व को ध्यान में रखते हुए मांग निर्धारित की जाएगी।

5.2 बीज का मानक

- बीज का आकार: 80–100 मि.मी. (फिंगरलिंग आकार)।
- स्वस्थ, सक्रिय एवं समान आकार का बीज।
- रोगमुक्त एवं जैव–सुरक्षा मानकों का पालन करने वाली हैचरी से उत्पादित।
  - ➢ 80 मि.मी. या उससे अधिक आकार के बीज का चयन किया जाएगा क्योंकि इन मत्स्य बीजों की जीवित रहने की दर अधिक होती है।
  - ➢ प्राकृतिक प्रतिकूल परिस्थितियों को बेहतर सहन करता है।
  - ➢ वृद्धि दर तेज होती है।
  - ➢ उत्पादन चक्र कम समय में पूर्ण किया जा सकता है।

5.3 बीज आपूर्ति स्रोत- बीज की आपूर्ति निम्न स्रोतों से की जाएगी:–

- उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम (UPFDC)
- परियोजना क्षेत्र में संचालित निजी हैचरियाँ जो निम्नाकिंत मानकों के अनुसार मत्स्य बीज आपूर्ति करने में सक्षम हों और यथा आवश्यक परियोजना जनपदों/मण्डलों में स्थापित हो।
- इनके पास उन्नत नस्ल के ब्रूड स्टॉक उपलब्ध हों।
- गुणवत्तायुक्त उत्पादन क्षमता हो ।
- नियमित आपूर्ति व्यवस्था हो।
- जैव–सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाता हो।

5.4 बीज आपूर्ति का समय

- उत्पादन वृद्धि के लिए समय पर मत्स्य बीज संचयन से उत्पादन क्षमता बढ़ती है।
- बीज आपूर्ति अवधि: जुलाई से सितंबर।
- यह अवधि संचयन के लिए उपयुक्त है क्योंकि:
  - ➢ जल स्तर पर्याप्त रहता है।
  - ➢ तापमान अनुकूल होता है।
  - ➢ प्राकृतिक उत्पादकता बेहतर रहती है।

5.5 जिला स्तरीय बीज आपूर्ति योजना की प्रक्रिया

1. सपोर्ट आर्गनाइजेशन (SO टीम) क्लस्टरवार बीज मांग (Indent) संकलित करेगी।
2. DPIU द्वारा मत्स्य बीज की अग्रिम मॉग का सत्यापन किया जाएगा और मॉग पत्र SPMU को अपनी संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।
3. प्रथम वर्ष में व्यवहारिकता के दृष्टिगत SO टीम परियोजना के माह 15 जून तक मत्स्य बीज मांग से DPIU को उपलब्ध करायेगी। DPIU द्वारा प्राप्त इन्डेंट्स के आधार पर जनपदवार बीज योजना तैयार कर 30 जून तक SPMU को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।
4. द्वितीय वर्ष से माह अप्रैल तक मत्स्य बीज इन्डेट की आपूर्ति मांगपत्र मुख्यालय को अग्रिम रूप से अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाएगी।
5. मांग पत्र में निम्न विवरण सम्मिलित होंगे:
   - ➢ क्लस्टर का नाम (परियोजना कोड के साथ)
   - ➢ सदस्यों की संख्या
   - ➢ क्लस्टर में तालाबों की संख्या
   - ➢ तालाबों का कुल क्षेत्रफल
   - ➢ प्रजाति अनुसार मत्स्य बीज मात्रा की आश्यकता
   - ➢ आपूर्ति की संभावित तिथि
   - ➢ वितरण स्थल
6. अनुमोदन प्राप्त होने के बाद DPIU द्वारा मानकों के अनुसार समयन्तार्गत बीज क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

5.7 बीज क्रय एवं वितरण प्रणाली

- DPIU द्वारा स्वीकृत मांग के अनुसार वरीयता क्रम में क्रमशः उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम (UPFDC)/पंजीकृत प्रतिष्ठित स्थानीय/नजदीकी निजी हैचरी से बीज निर्धारित शासकीय दर के अनुरूप क्रय किया जाएगा।

- क्लस्टरवार मत्स्य बीज वितरण हेतु SO टीम एवं DPIU परस्पर समन्वय से अग्रिम रूप समय सारिणी निर्धारित करते हुए FFPGs को तद्नुसार वितरण की तिथि से अवगत कराते हुए बीज वितरण सुनिश्चित करायेगें।
- लाभार्थी FFPG सदस्य निर्धारित स्थल से बीज प्राप्त करेंगे।

5.8 गुणवत्ता नियंत्रण एवं सत्यापन

गुणवत्तायुक्त एवं शुद्ध बीज की वास्तविक मात्रा की आपूर्ति एवं सही प्रजाति मिश्रण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु:

- ऐच्छिक/औचक नमूना परीक्षण (Random Sampling) किया जाएगा
- प्रजाति अनुसार संख्या की जांच की जाएगी
- बीज का आकार एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा

5.9 जोखिम न्यूनीकरण रणनीति

प्राकृतिक आपदाओं जैसे –सूखा, जल रिसाव ,जल की कमी की स्थिति में उत्पादन हानि को कम करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा:–

- तालाब आधारित मछली नर्सरी प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- अग्रिम रूप से उन्नत आकार की उपलब्धता को विकसित किया जायेगा।
- इससे फसल परिपक्वता अवधि कम होगी
- जोखिम की स्थिति में आंशिक हानि से बचाव होगा
- उत्पादन चक्र को शीघ्र पुनः प्रारंभ किया जा सकेगा

5.10 भारतीय मेजर कार्प, विदेशी कार्प एवं पंगास के लिए मानक फॉर्मुलेटेड मत्स्य आहार

अर्ध–सघ मत्स्य पालन प्रणाली में संतुलित एवं वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया **फॉर्मुलेटेड फिश फीड** उच्च उत्पादन का प्रमुख आधार है। यह आहार मछलियों की प्रजाति, आयु एवं वृद्धि अवस्था के अनुसार पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है।

5.10.1 लक्षित प्रजातियाँ

- भारतीय प्रमुख कार्प (IMC): रोहू, कतला, मृगल
- विदेशी कार्प: कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प
- कैटफिश: पंगेशियस

5.11 पोषण मानक

वृद्धि अवस्था	**कच्चा प्रोटीन (%)**	**वसा (%)**	**फाइबर (%)**	**टिप्पणी**
फिंगरलिंग	28–32%	4–6%	≤ 7%	तीव्र वृद्धि हेतु
ग्रो–आउट	24–28%	4–5%	≤ 8%	सामान्य उत्पादन हेतु

भारतीय मेजर कार्प, विदेशी कार्प एवं पंगास के लिए 24–28% प्रोटीन सामान्यतःपर्याप्त होता है।

5.11.1 **आहार का रूप**

- फ्लोटिंग पेलेटड फीड
- क्रम्बल फीड (छोटी अवस्था हेतु)

5.11.2 गुणवत्ता मानदंड

- ताजा एवं फफूंद रहित कच्चा माल
- पेलेट मजबूत एवं पानी में 40–45 मिनट तक स्थिर
- दुर्गंध रहित
- नमी 10–12% से अधिक न हो
- FCR (Feed Conversion Ratio) लगभग 1.5–1.8 के बीच

5.12 वर्ष–1 के निवेश हेतु इनपुट एवं लागत विवरण

- तालाब का जल क्षेत्र = 4000 हे०
- प्रस्तावित व्यय : रू 64.00 करोड़
- प्रति हे० सहायता : रू 1.60 लाख
- फिंगरलिंग : 3.2 करोड़ संख्या
- आहार : 1.40 लाख क्विंटल

5.12.1 मदवार लागत (प्रति हे० रू1.60 लाख)

मद	प्रति हे० लागत (रू)
कार्प फिश फिंगरलिंग (80–100 एम०एम) – 8000 अंगुलिका मत्स्य बीज प्रति हक्टेयर **पंगेसियस बीज** (40–50 एम०एम) – 8000 मत्स्य बीज प्रति एकड़	16,000
फॉर्मुलेटेड फीड (35 क्विंटल)	1,33,000
नर्सरी प्रबंधन	6,000
तलाब एवं जल प्रबंधन	5,000
कुल	1,60,000

कुल अनुशंसित आहार 60 क्विंटल/हे० है, जिसमें से 35 क्विंटल परियोजना द्वारा समर्थित होगा। शेष 25 क्विंटल लाभार्थी स्थानीय सामग्री से तैयार गृह–निर्मित आहार से वहन करेगा।

पंगास मछली पालन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

5.13 पूरक आहार की आपूर्ति व्यवस्था:–

SO टीम द्वारा परियोजनान्तर्गत क्लस्टरवार पूरक आहार आपूर्ति की गणना 35qt/ha की दर से करते हुए DPIU के माध्यम से SPMU को जनपदवार मांग पत्र अग्रिम रूप से माह मई तक उपलब्ध कराया जाएगा।

उच्च प्रोटीनयुक्त फ्लोटिंग संतुलित फिश फीड/मत्स्य पूरक आहार का क्रय केन्द्रीयकृत रूप से ई–टेण्डर प्रक्रेया द्वारा यू०पी०एग्रीस के उपार्जन विशेषज्ञ/उपार्जन प्रकोष्ट के माध्यम से माह जून तक सम्पादित कराया जायेगा। तत्पश्चात जनपदवार पूरक आहार की आपूर्ति, आपूर्ति फर्म से माह जुलाई – अगस्त तक निर्धारित कर सुनिश्चित करायी जाएगी। DPIU द्वारा SO टीम के माध्यम से FFPGs को आवश्यकतानुसार वितरित किया जायेगा। वितरित मत्स्य आहार का औचक सैम्पलिगं करते हुए गुणवत्ता और प्रति बैग आहार की मात्रा की सुनिश्चित कराया जायेगा और आपूर्ति और वितरण स्टाफ को स्थायी पंजीयन बुक में रिकार्ड किया जाएगा।

माहवार मत्स्यपालन एवं मत्स्यिकी फील्ड गतिविधियों हेतु चेकलिस्ट – (हाँ/नहीं प्रारूप)

1. गतिविधियों हेतु प्रारम्भिक तैयारी एवं क्लस्टर गठन हेतु मोबिलाइजेशन (मार्च)

क्र.सं.	गतिविधि	हाँ	नही	टिप्पणी
1	तालाब सूचीकरण एवं क्लस्टर मानचित्रण पूर्ण	☐	☐	
2	एफएफपीजी सदस्यों का गठन एवं बैठक आयोजित	☐	☐	
3	बीज, आहार एवं अन्य इनपुट की आवश्यकता का आकलन	☐	☐	
4	हैचरी/बीज आपूर्तिकर्ता की पहचान	☐	☐	
5	वार्षिक कार्ययोजना किसानों के साथ साझा	☐	☐	

2. तालाब तैयारी – चरण I (मई)

क्र.सं.	गतिविधि	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	तालाब से पानी निकाला गया (यदि लागू हो)	☐	☐	
2	तालाब की जुताई की गई	☐	☐	
3	तालाब की तलहटी को धूप में सुखाया गया	☐	☐	
4	गाद एवं अवशेष हटाए गए	☐	☐	
5	जलीय खरपतवार हटाए गए	☐	☐	

3. तालाब तैयारी – चरण II (जून)

क्र.सं.	गतिविधि	हाँ	नहीं	टिप्पणियाँ
1	मेड़ों की मजबूती की गई	☐	☐	
2	पानी के प्रवेश एवं निकास द्वार की मरम्मत	☐	☐	
3	मृदा pH के अनुसार चूना का प्रयोग	☐	☐	
4	जैविक खाद का प्रयोग	☐	☐	
5	प्रारंभिक जल भराव पूर्ण	☐	☐	

4. बीज पालन (अगस्त–सितंबर)

क्र.सं.	गतिविधि	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	कृत्रिम प्रजनन (इंड्यूस्ड ब्रीडिंग) संपन्न	☐	☐	
2	स्पॉन संग्रह कर नर्सरी में संचयन	☐	☐	
3	नर्सरी में जल गुणवत्ता की निगरानी	☐	☐	
4	फ्राई को फिंगरलिंग अवस्था तक पाला गया	☐	☐	
5	संचयन पूर्व बीज स्वास्थ्य परीक्षण	☐	☐	

5. (i) संचयन एवं वृद्धि प्रबंधन (अगस्त–फरवरी)

क्र.सं.	गतिविधि	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	गुणवतायुक्त फिंगरलिंग का संचयन	☐	☐	
2	निर्धारित आहार कार्यक्रम का पालन	☐	☐	
3	जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी	☐	☐	
4	रोग निगरानी एवं नियंत्रण	☐	☐	
5	समय—समय पर सैंपलिंग एवं अभिलेख संधारण	☐	☐	

(ii) अनुवर्ती वर्ष हेतु क्लस्टर चयन/गठन

क्र.सं.	गतिविधि	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	तालाब सूचीकरण एवं क्लस्टर मानचित्रण पूर्ण	☐	☐	
2	एफएफपीजी सदस्यों का गठन एवं बैठक आयोजित	☐	☐	
3	बीज, आहार एवं अन्य इनपुट की आवश्यकता का आकलन	☐	☐	
4	हैचरी/बीज आपूर्तिकर्ता की पहचान	☐	☐	
5	वार्षिक कार्ययोजना किसानों के साथ साझा	☐	☐	

6. मत्स्याखेट एवं चक्र समापन (मार्च—जून)

क्र.सं.	गतिविधि	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	आंशिक शिकारमाही किया गया	☐	☐	
2	अंतिम शिकारमाही पूर्ण	☐	☐	
3	विपणन कार्य पूर्ण	☐	☐	
4	उत्पादन एवं आय का अभिलेखन	☐	☐	
5	अगले चक्र हेतु तालाब तैयारी	☐	☐	

यूपीएग्रीज परियोजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन वार्षिक कार्य–कैलेंडर

उद्देश्य

इस मत्स्य पालन वार्षिक कार्य–कैलेंडर का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर पारंपरिक मत्स्य पालन को अर्ध–गहन मत्स्य पालन की ओर ले जाना है। मिश्रित मत्स्यपालन विधि अपना कर मत्स्य उत्पादन को 2–2.5 टन/हेक्टेयर से 4–6 टन/हेक्टेयर प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। समयबद्ध तरीके से उचित देखभाल और गतिविधि से उत्पादन, वृद्धि दर और मछलियों की उत्तरजीविता की दर में सुधार होने से मत्स्य कृषकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

वार्षिक कार्य–कैलेंडर (माहवार कार्यक्रम)

मार्च–अप्रैल (तालाब की प्रारंभिक तैयारी)

तालाब (यदि सीजनल हो)

यदि तालाब सीजनल हो तो इस अवधि में तालाब का अवशेष पानी निकालकर तालाब को 7–10 दिनों तक धूप में सुखाया जाना चाहिए। इससे हानिकारक जीवाणु और परजीवी नष्ट हो जाते हैं। इससे पहले तालाब में यदि पुरानी मांसाहारी/ शिकारी एवं अनचाही मछलियाँ हों तो उन्हें अवश्य हटा देना चाहिए और उनकी बाजार में बिक्री कर देनी चाहिए। यदि तालाब के तल में खर–पतवार या पत्थर या भाटे हों तो उसे तालाब से निकाल देना चाहिए और यदि तालाब का तल ऊबड़–खाबड़ हो तो उसे समतल कर देना चाहिए। आवश्यकतानुसार तालाब के तलछट में हल्की जुताई करने से तालाब की मिट्टी भुरभुरी हो जाने से उसमें सूर्य की रोशनी और हवा के प्रवेश से तालाब की उत्पादकता बढ़ती है। अगर मेड़ की मरम्मत, इनलेट और आउटलेट की सफाई भी करनी चाहिए।

तालाब (यदि बारहमासी हो)

तो तालाब से हिंसक मछलियों को निकालकर उसकी सफाई करनी चाहिए। इसके लिए तालाब में महुए की खली की 2–2.5 टन प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करना चाहिए। महुए की खली में सैपोनिन गैस निकलती है जो मछलियों को बेहोश करती है, जिससे तालाब से पुरानी मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये मछलियाँ ताजे पानी में डालने के बाद होश में आ जाती हैं और मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। महुए की खली तालाब में कार्बनिक खाद का काम करती है। लेकिन महुए की खली का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसके कारण मवेशी और जानवर ऐसे तालाब से पानी पीना खतरनाक हो सकता है। इसलिए मवेशी और जानवरों को इस तालाब से अगले 15–20 दिनों तक पानी पीने पर रोक लगानी चाहिए।

अप्रैल–मई (चूना एवं खाद डालना)

तालाब के मिट्टी और पानी की जाँच करानी चाहिए और तालाब की मिट्टी की प्रकृति के अनुसार गोबर की खाद एवं चूना डालना चाहिए। इसके बाद तालाब में 1–2 फिट पानी भर कर तालाब को दस से पन्द्रह दिनों तक छोड़ देना चाहिए और इसी दौरान सात दिनो बाद

तालाब में रासायनिक उर्वरक, यीस्ट (खमीर), सरसों की खली आदि का पेस्ट बना कर तालाब में छिड़काव करने से तालाब के पानी में मछलियों का प्राकृतिक भोजन (प्लवक) तैयार किया जाता है।

मई–जून (पानी भरना एवं प्लवक तैयार करना)

तालाब में पर्याप्त पानी (1.5 से 02 मीटर) भरें। तालाब भरने के लिए नहर, ट्यूब वेल अथवा अन्य स्रोत से साफ पानी लिया जाना चाहिए। पानी हल्का हरा–भूरा रंग तालाब में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता का संकेत है।

जून–जुलाई (बीज संचयन)

उत्तम गुणवत्ता वाले 8–10 सेमी आकार के फिंगरलिंग तालाब में सुबह या शाम के समय छोड़े जाएं। छोड़ने से पहले बीज के पैकेट को 20–30 मिनट तक तालाब के पानी में रखने के बाद पैकेट के पानी मे तालाब का पानी मिला कर बीजों को तालाब के पानी अनुरूप अनुकूलित करना चाहिए। इसके पश्चात मछली का बीज धीरे–धीरे तालाब में छोड़ना चाहिए। इससे मछली के बीज की मृत्यु दर कम हो जाती है।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हैचरियों से आयातित मत्स्य बीज प्रायः स्पॉन (8 एमएम आकार से बड़) अथवा फ्राई (25 एमएम से 35एमएम तक) के रूप में होते हैं जिनको तालाब में पालने से पूर्व पृथक नर्सरी बनाकर उनका 45 से 60 दिनों तक उचित पोषण एवं विशेष देख–भाल के साथ संवर्धन करने के उपरान्त मुख्य पालन तालाब में संचय करने से मछलियों की उत्तरजीविता दर में वृद्धि के साथ–साथ मत्स्य उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि होती है।

गुणवत्तायुक्त मछलियों के बीज की पहचान

स्वस्थ मछली बीज (फ्राई/फिंगरलिंग) का चयन उत्पादन बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि बीज गुणवत्तापूर्ण हो तो जीवित रहने की दर अधिक रहती है और वृद्धि भी तेज होती है। स्वस्थ बीज की मुख्य पहचान है:

सक्रियता

- मछलियाँ पानी में तेज और संतुलित तैरती हों।
- हल्की हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया दें।
- पानी की सतह पर निष्क्रिय होकर तैरती न हों।

आयु एवं वजन

- तालाब में छोड़ने हेतु सामान्यतः 80–100 मि.मी. (10–15 ग्राम) का फिंगरलिंग बेहतर रहता है।
- बहुत छोटे फ्राई की मृत्यु दर अधिक होती है।

समान आकार

- सभी बीज लगभग एक ही आकार के हों।
- बहुत छोटे–बड़े का मिश्रण न हो (अन्यथा बड़ी मछलियाँ छोटी को खा सकती हैं)।

चमकदार एवं स्वच्छ शरीर

- शरीर पर प्राकृतिक चमक हो।
- शल्क (स्केल) साफ और चिपके हुए हों।
- शरीर पर घाव, लाल धब्बे, फफूंदी या सफेद चकत्ते न हों।

स्वस्थ गलफड़े

- गलफड़े हल्के गुलाबी/लाल रंग के हों।
- बदबू या अत्यधिक बलगम न हो।

सीधा शरीर एवं सही आकृति

- शरीर टेढ़ा–मेढ़ा, मुड़ा हुआ या विकृत न हो।
- पेट असामान्य रूप से फूला या धंसा हुआ न हो।

रोगमुक्त

- परजीवी, फंगस या बैक्टीरियल संक्रमण के लक्षण न हों।
- बीज विश्वसनीय हैचरी से लिया गया हो।

जुलाई–सितंबर (नियमित प्रबंधन)

इस अवधि में नियमित रूप से संतुलित आहार दें और पानी की गुणवत्ता की निगरानी करें। तालाब में पानी की मात्रा को बनाये रखने के लिए बरसात के पानी का संचय करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि तालाब में किसी गन्दे नाले अथवा सीवर का पानी ना आ पाये। पानी के पी.एच., तापमान, पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा और अमोनिया की निरंतर जाँच करते रहना चाहिए और पानी के मानक में कमी आने पर उसका प्रबन्ध करना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया मछली की फसल तैयार होने तक नियमित जारी रखनी चाहिए। तालाब में जाल चला कर मछलियों की वृद्धि को रिकार्ड करते रहना चाहिए और उसी के अनुसार तालाब में पूरक आहार का प्रयोग करना चाहिए।

अक्टूबर–नवंबर (वृद्धि जांच और आंशिक शिकारमाही)

मछलियों की वृद्धि का निरीक्षण और उनका पोषण व्यवस्था सुनिश्चित करें।यदि कुछ मछलियाँ बड़े आकार की हो गई हों तो उनकी आवश्यकतानुसार बिकी हेतु शिकारमाही करें।

दिसंबर–जनवरी (स्वास्थ्य प्रबंधन)

जाड़े के मौसम में मछलियों की विशेष देखभाल करनी पड़ती है क्योकि उनका मेटाबोलिज्म दर धीमा हो जाता है और मछलियाँ कम भोजन ग्रहण करने से वह सुस्त रहती हैं। पानी में सूर्य का प्रकाश कम पड़ने के कारण कार्बनिक लोड बढ़ने से पानी का पी.एच. अम्लीय हो जाता है और मछलियों में बैक्टीरिया और फंगस जनित रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस लिए पानी की गुणवत्ता बनाए रखें और रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दें।

ऐसी स्थिति में मछलियों को कम आहार दे अथवा स्थिति के अनुसार दैनिक खाने को बंद कर दें। ऑक्सीटेटरासाइक्लिन दवा 2 से 3 ग्राम की मात्रा प्रति किलो की दर से आहार में मिलाकर 10 दिनों तक दें इसके बाद इसका प्रयोग बंद कर दें। इससे मछलियों में बैक्टीरिया जनित रोग नियंत्रित हो जाता है। मछलियों में फंगस की बीमारी की रोकथाम के लिए मछलियों को डिसइनफेक्टेंट जैसे पोटेशियम परमैग्नेट (लाल दवा), हाइड्रोजन पराक्साइड अथवा फॉर्मलीन का 0.25 ppm घोल, नमक और बुझे हुए चूने का प्रयोग करें।

फरवरी-मार्च (अंतिम शिकारमाही)

8–10 माह पूर्ण होने पर जब मछलियों का औसत वजन 800 ग्राम से 1.2 किलोग्राम हो जाये तब पूर्ण शिकारमाही करें।

पानी एवं मिट्टी के आदर्श मानक

मत्स्य पालन की सफलता पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

- pH: 7–8.5 (सामान्य या हल्का क्षारीय)
- **घुलित ऑक्सीजन** (DO) : 5 mg/l से अधिक
- **पारदर्शिता** : 25–40 सेमी
- **अमोनिया** : 0.05 mg/l से कम
- **पानी की गहराई** : 1–2 मीटर

यदि पानी बहुत गहरा हरा हो जाए या बदबू आए, तो 10–20% पानी बदल दें।

बीज संचयन एवं घनत्व

बीज हमेशा प्रमाणित हैचरी से ही खरीदें। बीज का आकार 8–10 सेमी होना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 8000–10000 फिंगरलिंग डालना उपयुक्त है। अधिक बीज डालने से वृद्धि कम होती है और रोग की संभावना बढ़ती है।

प्रजाति मिश्रण (स्टॉकिंग पैटर्न)

तीन प्रजाति (IMC आधारित)

- कतला – 30%
- रोहू – 40%
- मृगल – 30%

पाँच प्रजाति (IMC+ विदेशी कार्प)

- कतला – 25%
- रोहू – 30%
- मृगल – 20%
- ग्रास कार्प – 15%
- कॉमन कार्प – 10%

छह प्रजाति (वैकल्पिक मिश्रण)

- कतला – 20%
- रोहू – 25%
- मृगल – 15%
- ग्रास कार्प – 15%
- कॉमन कार्प – 15%
- सिल्वर कार्प – 10%

कम लागत का घरेलू आहार

स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से संतुलित आहार तैयार किया जा सकता है।

सामग्री एवं अनुपात

- सरसों/मूंगफली खली – 25%
- सोयाबीन की खली – 20%
- चावल की भूसी – 25%
- गेहूं का चोकर – 20%
- फिश मील /मीट बोन मील – 5–7%
- मिनरल मिश्रण – 2%
- नमक – 1%

सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर आटे जैसा गूंथकर छोटी–छोटी गोलियां या पेलेट बना लें।

आहार देने की मात्रा

- पहले 2 माह : कुल वजन का 5–6%
- 3–5 माह : 3–4%
- 6–8 माह : 2–3%

दिन में दो बार (सुबह एवं शाम) आहार दें।

सामान्य रोग एवं उपचार

फंगल रोग

- मछली के शरीर पर सफेद रूई जैसे धब्बे दिखाई देते हैं।
- **उपचार** : 2–3% नमक स्नान 5–10 मिनट के लिए करें।

बैक्टीरियल रोग

- शरीर पर लाल धब्बे या घाव बन जाते हैं।
- उपचारः 200 किग्रा/हेक्टेयर चूना डालें, पानी आंशिक बदलें, आवश्यकता पर विशेषज्ञ से सलाह लें।

परजीवी रोग

- मछलियाँ सुस्त हो जाती हैं या शरीर रगड़ती हैं।
- उपचारः पोटाश ($KMnO4$) 2–3 ग्राम /1000 लीटर पानी या नमक स्नान।
- ऑक्सीजन की कमी
- मछलियाँ पानी की सतह पर आकर सांस लेने लगती हैं।
- **उपचार** : तुरंत 10–20% पानी बदलें, एरेटर चलाएँ और आहार कम करें।

क्या करें

- केवल अच्छी गुणवत्ता का बीज उपयोग करें।
- नियमित रूप से संतुलित आहार दें।
- पानी की गुणवत्ता की समय–समय पर जांच करें।
- मासिक रूप से चूना डालें।
- सभी गतिविधियों यथा–तालाब की मिट्टी और पानी की जांच, तालाब के पानी में घुलित आक्सीजन, पानी का पी0एच0 मान, पानी में अमोनिया का स्तर, तालाब का गन्दलापन (तालाब में सूर्य की किरणों की भेदने की क्षमता), तालाब में मछलियों के प्राकृतिक आहार (प्लेंक्टॉन) की उपलब्ध मात्रा, सुबह एवं शाम के समय तालाब के पानी का तापमान एवं मछलियों की 15 दिन में हुयी वृद्धि का रिकॉर्ड रखने से मत्स्य पालक को अपने मत्स्य उत्पादन, लाभ एवं लागत का अग्रिम रूप से आंकलन करने में अत्यन्त सहायता मिलती है। तालाब में साप्ताहिक रूप से संचित मत्स्य स्टॉक का जाल चलाकर उन्हें तालाब में दौड़ाने से मछलियों की वृद्धि होती है और बीमार मछलियों के तालाब से निष्कासन से मछलियों में रोग की सम्भावना न्यूनतम हो जाती है।

मत्स्य विक्रय रणनीति :

मत्स्य सम्पदा की विक्रय रणनीति को बनाकर उसी अनुसार मछली की बिक्री करना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उत्पादित मछलियों का एक साथ शिकारमाही करते हुए उनकी बाजार में थोक भाव में बिक्री करने पर मत्स्यपालक को उचित मूल्य के अभाव में विवश होकर मछली बेचनी पड़ती है, जिससे उससे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अतः थोड़ी–थोड़ी मात्रा में उत्पादित मछलियों की बिक्री बाजार मांग के अनुसार करने मत्स्य पालकों को उचित आमदनी होती है। इसके लिए स्थानीय रूप से मत्स्य पालकों को संगठित होकर एक विक्रय रणनीति बनाते हुए उसी के माध्यम से बाजार मांग एवं उचित मूल्य के आधार पर क्रमिक रूप से मछली बिक्री करना ज्यादा लाभदायक होता है। इसके लिए परस्पर सम्पर्क बनाये रखने के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाना चाहिए।

क्या न करें

- आवश्यकता से अधिक बीज न डालें।
- अधिक आहार न दें।
- खराब या मिश्रित बीज का उपयोग न करें।
- पानी की गुणवत्ता की अनदेखी न करें।
- रोग के लक्षणों को नजरअंदाज न करें।

संभावित लाभ

यदि उपरोक्त वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए तो उत्पादन 3–4 गुना तक बढ़ सकता है। किसान की आय में 50–70% तक वृद्धि संभव है। जीवित रहने की दर बढ़ती है और रोग का खतरा कम होता है।

अधिक जानकारी एवं तकनीकी सहायता के लिए अपने नजदीकी मत्स्य अधिकारी या किसान समूह से संपर्क करें।

"वैज्ञानिक मत्स्य पालन अपनाएँ –अधिक उत्पादन पाएँ– आय बढ़ाएँ"

पंगेसियस मछली पालन

पंगास आज मीठे पानी में पाली जाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। उत्तर प्रदेश की जलवायु पंगेसियस मछली पालन के लिए अनुकूल है। यहाँ के मौसम को देखते हुए 7-8 माह में ही तालाबों में 1.0-1.5 कि.ग्रा. वजन की मछली प्राप्त कर सकते हैं।

तालाब का चयनः

पंगास पालन के लिए संचयन तालाब का क्षेत्रफल 0.5 से 1.0 एकड़ तक अच्छा माना जाता है। तालाब में पानी की गहराई 1.5-2.0 मी. तक होनी चाहिए। अधिक गहराई वाले तालाब उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि वायुश्वासी होने के कारण ये बार बार पानी की सतह पर आकर ऑक्सीजन लेती हैं। ज्यादा गहराई होने से इन्हें ऊपर आने और जाने में ज्यादा ऊर्जा खपत करनी होगी जिससे उनकी वृद्धि दर कम हो जाती है।

जल की गुणवत्ताः

पंगास की अच्छी वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित जलीय गुणों का होना आवश्यक है:

- तापमान: 26°-30°c
- पी०एच०: 6.5-7.5
- घुलित आक्सीजन: >5 ppm
- लवणता: <2 ppt
- क्षारीयता: 40-200 ppm
- कुल अमोनिया: <0.5 ppm

संचयन तालाबों में पालन की विधिः

संचयन तालाबों में डाले जाने वाली अंगुलिकाओं को आस-पास ही तैयार करना चाहिए क्योंकि दूर से अंगुलिकाओं का परिवहन कर लाना और संचयन करना काफी कठिन है। अधिक दूरी के परिवहन से मछलियों को काफी चोट आती है, एक दूसरे के काँटे उनको घायल करते हैं एवं खरोंच के कारण बीमारी होने के ज्यादा आसार होते है।

पंगास मछली पालन हेतु 5-10 ग्राम की अंगुलिकाओं को 8000 प्रति एकड़ की दर से संचित किया जाए, जिससे 6-7 टन पंगास प्रति एकड़ का उत्पादन लिया जा सकता है।

जैविक खाद (गोबर) का प्रयोग 1,000-12,000 प्रति हे० पालन अवधि में 8-10 भागों में बांटकर करना चाहिए। रासायनिक खाद के रूप में यूरिया 5 कि.ग्राम./ एकड़ एवं सिंगल सुपर फास्फेट 6-7 किग्रा / एकड़ प्रति 3 महीने में एक बार उपयोग करना चाहिए।

पूरक आहार

पंगास मछली की खेती में पूरक आहार के रूप में फैक्ट्री फारमूलेटेड फ्लोटिंग फीड ही सर्वोतम है और इसके उपयोग से ही वांछित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पंगेसियस मछली मुख्यतः पूरक आहार पर निर्भर रहती है, जिससे पालन में बहुत आसानी होती है। प्रारंभिक अवस्था में यह छोटी मछलियों, तालाब में उपलब्ध काई तथा घोंघे को खाती है। बड़े होने पर यह सर्वभक्षी हो जाती है तथा तालाब में पूरक आहार को बड़े चाव से खाती है। अगर तालाब में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता अच्छी हो तो पूरक

आहार में खर्च काफी कम आता है। पूरक आहार के रूप में बाजार में उपलब्ध विभिन्न कंपनियों का भोजन उपलब्ध है.

मछलियों के शारीरिक भार के हिसाब से फ्लोटिंग फीड का उपयोग करने वाले किसानों की सुविधा हेतु आहार तालिका निम्न है:

आहार तालिका 1 (बड़ी मछलियों के लिए):

मछली का शारीरिक भार (gm)	प्रतिशत भोजन (शारीरिक भार का) / दानों का आकार (mm)	प्रोटीन की मात्रा भोजन में
300-400	1-5% / 4 mm	28%
400-600	1-5% / 4 mm	28%
600-700	1-5% / 4 mm	28%
700-800	1% / 4 mm	28%
800-1000	1% / 4 mm	24%

हर 15 दिन के अन्तराल में जाल चला कर तालाब में मछलियों के वजन का आकलन कर आहार मात्रा निर्धारित करनी चाहिए।

आहार तालिका 2 (छोटी मछलियों के लिए):

मछली का शारीरिक भार (gm)	फ्लोटिंग फीड के दानों का आकार (mm) / प्रतिशत भोजन	प्रोटीन की मात्रा भोजन में
5-10	1.5 mm / 7%	32%
10-20	2 mm / 6%	32%
20-30	2 mm / 5%	32%
30-40	3 mm / 4%	28%
50-100	3 mm / 3-5%	28%
100-200	4 mm / 2-5%	28%
200-300	4 mm / 2-5%	28%

पंगेशियस मछली का भोजन: भींगा हुआ भोजन इस खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी वृद्धि के लिए सर्वोत्तम भोजन पानी की सतह पर तैरने वाला माना जाता है। फ्लोटिंग फीड इस मछली के लिए ज्यादा उपयुक्त है। भोजन में अधिक प्रोटीनयुक्त पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यदि पालन किसी अन्य मछली की प्रजाति के साथ हो रहा हो तो हम बैग के द्वारा भी भोजन दे सकते हैं।

विशिष्टता, सावधानियाँ एवं विपणन

विशिष्टता:

यह अन्य कार्प मछलियों के साथ भी पाली जा सकती है। जिन क्षेत्रों में कम लवणीय पानी उपलब्ध है वहां भी इसकी खेती की जा सकती है। चूँकि यह अन्य मछलियों के साथ भोजन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करती है, अतः इन्हें दूसरे मछलियों के साथ भी पालन किया जा सकता है।

सावधानियाँ:

चूँकि यह सर्वभक्षी मछली है, अतः इन्हें नदियों में जाने से रोका जाना चाहिए। एकल खेती में 15-20 ग्रा० की अंगुलिकाओं को 20 हजार/हे. की दर से संचयन करने से 20-25 टन प्रति हे. की फसल 7-8 माह में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

जाड़े के दिनों में विशेषकर जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो मछली तनाव (Distress) में आ जाती है। खाना नहीं के बराबर खाती है जिससे इसका वजन घटने लगता है। ऐसी स्थिति में अक्टूबर माह तक मछली की निकासी कर ली जाए।

विपणनः

चूँकि इस मछली के मांस में काँटा नहीं होता है इसलिए आसानी से इसका पीस बनाया जा सकता है। बाजार में इसकी माँग तेजी से बढ़ रही है तथा अधिक उत्पादन होने पर इसे प्रोसेसिंग पर विदेशों में भी भेजा जा सकता है।

पंगेसियस पालन में आकस्मिकताएँ एवं उपचार

मछलियाँ शरीर की सभी प्रक्रियाएं जल में पूरी करती है। चूँकि ये श्वाॅस लेने, भोजन ग्रहण करने, वृद्धि, उत्सर्जन, लवण का संतुलन एवं प्रजनन के लिए पूर्णतः जल पर आश्रित है अतः जल का भौतिक एवं रासायनिक गुणों को समझना मत्स्यपालन की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलकृषि की सफलता असफलता बहुत हद तक जल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

पंगेसियस सूचि (पंगास) जिसकी वृद्धि अन्य मछलियों की तुलना में ज्यादा है, का सघन पालन आज बिहार के साथ-साथ देश के कई राज्यों में तालाबों एवं केज में हो रहा है। वातावरण में अवांछनीय परिवर्तन के कारण मछलियों तनाव में आ जाती है, जिससे बीमारियों के संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। बीमारियों के कारण हुए नुकसान को मत्स्य पालन में सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। अतः पंगेसियस के सफल उत्पादन के लिए किसानों को जल की गुणवत्ता एवं इसके स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान देना अति आवश्यक है।

विज्ञान में एक प्रचलित कहावत है "बीमारी के उपचार से अच्छा उसका रोकथाम है"। मत्स्य पालन में ज्यादातर बीमारियों का संक्रमण मछलियों के वातावरण (जल) की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन के कारण ही शुरू होता है।

प्रमुख बीमारियाँ एवं उपचार

जल की गुणवत्ता प्रबंधन के साथ-साथ भोजन के साथ प्रोबायोटिक का उपयोग भी मत्स्य कृषक आजकल सघन मत्स्य पालन में करने लगे हैं। प्रोबायोटिक मछलियों के रोग नि७०७०ωक क्षमता को काफी बढ़ा देते हैं। ठंढे के मौसम में जब रोग संक्रमण की सम्भावना ज्यादा होती है, फीड के साथ प्रोबायोटिक का उपयोग हमेशा लाभप्रद है।

1. बेसीलरी नेक्रोसीसः

पंगेसियस में होने वाली यह एक घातक बीमारी है एवं इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह रोग एक जीवाणु ऐडवरसीला इक्टालूरी के संक्रमण से होता है। ज्यादातर संक्रमण तापमान में गिरावट के समय होता है। मछलियों के त्वचा एवं गलफड़े पीले हो जाते हैं तथा प्लीहा, लीभर एवं किडनी में छोटे-छोटे सफेद दाग दिखाई देते हैं।

उपचार: इसके उपचार के लिए कृत्रिम भोजन के साथ एंटीबायोटिक के रूप में आक्सीटेट्रासाइक्लीन या सल्फोनामाइद को मिलाकर एक या दो सप्ताह तक दिया जाता है। उपचार के साथ-साथ जल की गुणवत्ता जांच कर उसमें सुधार करना चाहिए।

2. रेड स्पॉटः

यह बीमारी ज्यादातर तापमान में परिवर्तन के साथ-साथ परिवहन में हुए तनाव के समय देखी जाती है। इसका कारक ऐरोमोनास हाइड्रोफिला, ऐरोमोनास सर्बिया एवं ऐरोमोनास समूह के जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसके संक्रमण से मुँह के आस-पास रक्तस्त्राव, पंखों के आधार पर रक्तस्त्राव एवं पेट फूल कर लाल हो जाती है। यह रोग फ्राई, फिंगरलिंग, बड़ी मछली सभी अवस्थाओं में देखी जाती है।

उपचार: इसका भी उपचार भोजन के साथ एंटीबायोटिक का उपयोग कर किया जाता है। इसके साथ-साथ जल की गुणवत्ता में भी सुधार करना जरुरी होता है।

3. व्हाईट स्पॉटः

यह बीमारी प्रोटोजोवा परजीवी इकथायोपयाइरस मल्टीफीलीस के संक्रमण के कारण होती है। यह ज्यादातर फ्राई एवं फिंगरलिंग में देखी जाती है। इसके संक्रमण से मछलियों के त्वचा एवं गलफड़ों से छोटे-छोटे सफेद दाग हो जाते हैं एवं मछलियाँ सुस्त हो जाती है।

उपचार/रोकथाम: मछलियों को 10-15ppm पोटाशियम परमैगनेट से डिसइन्फेक्टेंट (विषाणुयुक्त) कर के भी इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है।

4. फंगस इन्फेक्शनः

यह पंगेसियस के फ्राई एवं अंगुलिकाओं में ज्यादातर देखा जाता है। परिवहन के समय लगे चोटों के स्थान पर फंगस के हाइफी अपना निवास स्थान बना लेते हैं। मछलियों की गति एवं संतुलन काफी प्रभावित हो जाती है।

उपचार: इसके उपचार के लिए 10 प्रतिशत पोटाशियम परमैगनेट में मछलियों को डुबोकर 30-40 सेकेंड तक रखा जाता है एवं पुनः निकाल दिया जाता है।

शपथ पत्र का प्रारूप

(रु० 100/- के जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं..(नाम) पुत्र/पुत्र/पत्नी..........................(पिता/पति का नाम) निवासी..(पता) यह शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ --

1. मुझे यू0पी0एग्रीस परियोजना के अंतर्गत संचालित योजना की सभी शर्तों एवं प्रावधानों की पूर्ण जानकारी है। मुझे परियोजना की कुल लागत, लाभार्थी अंशदान, अनुदान तथा अन्य सभी नियमों की जानकारी है। योजना को अच्छी तरह समझने के बाद ही मैंने निर्धारित आवेदन-पत्र के माध्यम से आवेदन किया है। परियोजना में यू0पी0एग्रीस द्वारा अनुमन्य अनुदान से अधिक होने वाला समस्त व्यय मैं स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन करूँगा/करूँगी।
2. मैं स्थानीय रूप से यू0पी0 एग्रीस परियोजनान्तर्गत गठित होने वाले मत्स्य उत्पादक समूह (एफ़०एफ०पी०जी) के सदस्य के रूप में स्वयं को स्वेछापूर्वक आबद्धता ग्रहण करता/करती हूँ और समूह के संचालन हेतु निर्धारित उपविधियों का भलीभांति अध्ययन/जानकारी प्राप्त कर ली है और इसके अनुरूप क्लस्टर विकास में मेरे द्वारा सक्रिय प्रतिभाग किया जायेगा
3. मैं किसी भी बैंक या वितीय संस्था का ऋण बकायेदार (डिफॉल्टर) नहीं हूँ। साथ ही, मैंने अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य ने इस परियोजना, मत्स्य विभाग की किसी अन्य योजना अथवा किसी अन्य स्रोत से इस प्रकार के कार्य हेतु पूर्व में कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है।
4. योजना के अंतर्गत चयनित होने तथा स्वीकृति-पत्र प्राप्त होने के बाद मैं परियोजना को तीन माह के भीतर पूर्ण कर दूँगा/दूँगी। परियोजना के संचालन, रख-रखाव एवं प्रबंधन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
5. यदि मैं निर्धारित समय में परियोजना पूर्ण नहीं करता/करती अथवा योजना का क्रियान्वयन नहीं करता/करती, तो यू0पी0एग्रीस/यू0पी0डास्प, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दी गई अनुदान राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू-राजस्व की भाँति वसूली की जा सकेगी। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. परियोजना से संबंधित ब्रूड स्टॉक, मत्स्य बीज एवं अन्य परिसंपत्तियों का निरीक्षण करने का अधिकार यू0पी0एग्रीस/यू0पी0डास्प को होगा। निरीक्षण के दौरान मैं विभागीय अधिकारियों के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करूँगा/करूँगी।
7. परियोजना के संचालन के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार एवं यू0पी0एग्रीस द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी नियमों, दिशा-निर्देशों एवं आदेशों का पालन करूँगा/करूँगी।
8. परियोजना के संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि होने पर मैं विभाग या यू0पी0एग्रीस से किसी प्रकार का मुआवजा अथवा क्षतिपूर्ति का दावा नहीं

करूँगा/करूँगी। प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य अप्रत्याशित कारणों से होने वाली क्षति के लिए भी यू0पी0एग्रीस उत्तरदायी नहीं होगा।

9. मैं किसी भी प्रतिबंधित (प्रतिषिद्ध) मछली प्रजाति का पालन या संवर्धन नहीं करूँगा/करूँगी।
10. मैंने परियोजना की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), दिशा-निर्देश एवं पात्रता संबंधी सभी प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है।
11. मैंने यू0पी0एग्रीस/ यू0पी0डास्प द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देश, SOP एवं आवश्यक सूचनाओं को पढ़ लिया है; अथवा डाउनलोड कर उनका अध्ययन कर लिया है।
12. आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अधूरी जानकारी अथवा आवश्यक अभिलेख संलग्न न होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। यदि इस कारण मेरा आवेदन निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा मैं कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।
13. मैं/हम________ ______________, पिता/पति/माता ____________________, यह घोषणा करता/करते हैं कि इस आवेदन-पत्र में दी गई सभी सूचनाएँ एवं संलग्न अभिलेख मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं तथा सभी आवश्यक अभिलेख आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं।

दिनांक : ______________

स्थान : ______________

आवेदक के हस्ताक्षर : ______________________

आवेदक का नाम : ______________________

पूरा पता : ______________________

मोबाइल नम्बर : ______________________

यूपीएग्रीस (UPAGREES) परियोजना
तालाब-आधारित मत्स्य उत्पादन के लिए मत्स्य पालक चयन चेकलिस्ट
क्लस्टर-आधारित मत्स्य उत्पादक समूह (FPG) दृष्टिकोण के तहत लाभार्थियों और तालाबों के चयन हेतु

उद्देश्य : इस चेकलिस्ट का उपयोग फील्ड स्टाफ/स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित चयन मानदंडों और FPG गठन दिशानिर्देशों के अनुसार, UPAGREES के तहत तालाब-आधारित मछली उत्पादन हस्तक्षेपों में भाग लेने के लिए मत्स्य पालक की पात्रता, तालाब की उपयुक्तता और तत्परता की पुष्टि करने के लिए किया जाना है।

अ. पहचान विवरण

चेकलिस्ट संख्या:	________	**भ्रमण की तारीख:**	___/___/___
मत्स्य पालक का नाम:	________	**माता/पिता का नाम:**	________
मोबाइल नंबर:	________	**उम्र:**	______ वर्ष
लिंग:	☐ पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य	**श्रेणी:**	☐ SC ☐ ST ☐ OBC ☐ General ☐ अन्य
गाँव:	________	**ग्राम पंचायत:**	________
ब्लॉक:	________	**जिला:**	________
FPG / प्रस्तावित क्लस्टर का नाम:	________	**क्लस्टर की सीमा:**	______ किमी

ब. तालाब / जलाशय का विवरण

तालाब / जलाशय का प्रकार:	☐ व्यक्तिगत/निजी ☐ पट्टे) लीज (पर ☐ सामुदायिक ☐ अन्य	**स्वामित्व / पट्टा दस्तावेज उपलब्ध है:**	☐ हाँ ☐ नहीं
कुल तालाब क्षेत्र:	______ हेक्टेयर / एकड़	**हस्तक्षेप हेतु विचारित क्षेत्र:**	______ हेक्टेयर / एकड़
पट्टा शुरू होने की तिथि:	___/___/___	**पट्टा समाप्ति की तिथि:**	___/___/___
शेष पट्टा अवधि:	____ वर्ष ____ महीने	**क्या शेष पट्टा 5 वर्ष से अधिक है?**	☐ हाँ ☐ नहीं ☐ NA
मत्स्य पालक/समूह के पास तालाब संख्या:	______	**तालाब की औसत गहराई:**	______ फीट
तालाब में जल की	______ महीने/वर्ष	**इनलेट/आउटलेट/जल**	☐ हाँ ☐ नहीं

औसत उपलब्धता अवधि:		**निकासी प्रावधान:**	
तालाब में पानी भरने का स्रोत:	☐ हाँ ☐ नहीं स्रोत : ________________	**जी.पी.एस / स्थान विवरण:**	________________

स. मत्स्य पालन प्रोफाइल और मत्स्य पालन में रुचि

मत्स्य पालन का अनुभव	________________वर्ष	**क्या प्राथमिक आजीविका मत्स्य पालन है?**	☐हाँ ☐नहीं
वर्तमान में पाली जा रही प्रजातियाँ	☐आईएमसी ☐पंगासियस ☐तिलापिया ☐कार्प पॉलीकल्चर ☐अन्य: _____	**पालने के लिए इच्छुक प्रजातियाँ**	☐आईएमसी ☐पंगासियस ☐तिलापिया ☐कार्प पॉलीकल्चर ☐अन्य: _____
कुल वार्षिक उत्पादन / क्षेत्रफल	______ किग्रा/वर्ष ______ हेक्टे./एकड़	**मत्स्य पालन से वार्षिक आय**	______________ रुपये/वार्षिक
वर्तमान वार्षिक उत्पादन	________ किग्रा/वर्ष	**उपयोग किए जाने वाले मत्स्य पूरक आहार (फीड) का प्रकार**	☐फार्म-मेड (घर का बना) ☐फ्लोटिंग फीड (तैरता चारा) ☐सिंकिंग फीड (डूबता चारा) ☐अन्य
मत्स्य बीज का स्रोत	________________________	**मत्स्य पालन में आने वाली प्रमुख समस्याएँ:**	☐बीज ☐चारा ☐बीमारी ☐पानी ☐बाजार ☐वित ☐अन्य
क्या पहले किसी शासकीय योजना का लाभ मिला है?	☐हाँ ☐नहीं विवरण: ____________	**क्या मूल रिकॉर्ड बनाए बनाए रखे गए हैं?**	☐हाँ ☐नहीं

द. तालाब और स्थल उपयुक्तता चेकलिस्ट

क्र.सं.	**पैरामीटर / चयन मानदंड**	**हाँ**	**नहीं**	**अंक) 1-5)**	**टिप्पणी / अवलोकन**
1	तालाब/जलाशय का क्षेत्र 0.2 हेक्टेयर से अधिक है या परियोजना मूल्यांकन के अनुसार उपयुक्त है।	☐	☐		
2	तालाब जलधारण क्षमता वर्ष में कम से कम 8-10 महीने है।	☐	☐		

3	पानी की गहराई तालाब में मछली पालन के लिए उपयुक्त है, अधिमानतः 4-6 फीट।	☐	☐		
4	पानी की गुणवत्ता उपयुक्त है :तापमान 25-32°C, pH 6.5-8.5, DO 4.0-5.0 ppm से ऊपर, पारदर्शिता 30-40 सेमी, लवणता 5 ppt से कम।	☐	☐		
5	पानी को फिर से भरने) Refill) का प्रावधान उपलब्ध है।	☐	☐		
6	इनलेट/आउटलेट/जल निकासी का प्रावधान उपलब्ध है।	☐	☐		
7	तालाब का बांध ऊंचा है और तालाब में बाढ़/जलभराव का खतरा नहीं है।	☐	☐		
8	तालाब अत्यधिक खरपतवार के संक्रमण से मुक्त है।	☐	☐		
9	तालाब घरेलू अपशिष्ट जल के संदूषण से मुक्त है।	☐	☐		
10	तालाब कृषि अपवाह/कीटनाशक दवाओं के संदूषण के जोखिम से मुक्त है।	☐	☐		
11	स्वामित्व/पट्टा/पहुंच अधिकार स्पष्ट हैं और किसी कानूनी विवाद की सूचना नहीं है।	☐	☐		
12	बीज, चारा, इनपुट परिवहन और मछली की फसल की ढुलाई के लिए अच्छी सड़क संपर्क उपलब्ध है।	☐	☐		
13	बिजली की आपूर्ति या व्यवहार्य सौर/पंप विकल्प उपलब्ध/संभव है।	☐	☐		
14	नजदीकी क्लस्टर में 1-2 किमी के दायरे में 10-20 सक्रिय मछली किसान हैं या पर्याप्त क्षमता है।	☐	☐		
15	सामूहिक इनपुट खरीद, चारा भंडारण और विपणन की गुंजाइश मौजूद है।	☐	☐		
16	स्थानीय/क्षेत्रीय बाजार या एकत्रीकरण बिंदु सुलभ है।	☐	☐		
17	कोल्ड चेन/प्रसंस्करण/बाजार चैनलों के साथ संभावित जुड़ाव मौजूद है।	☐	☐		
18	पंचायत/PRI/स्थानीय संस्थान से सहयोग उपलब्ध है या मिलने की संभावना है।	☐	☐		

इ. लाभार्थी पात्रता और चेक.लिस्ट

क्र.सं.	पैरामीटर / चयन मानदंड	हाँ	नहीं	टिप्पणी / अवलोकन
1	आवेदक प्रस्तावित क्लस्टर/गाँव क्षेत्र का निवासी है।	☐	☐	
2	आवेदक सक्रिय रूप से मछली पालन में लगा है या उत्पादन शुरू करने/अपग्रेड करने की इच्छा रखता है।	☐	☐	
3	आवेदक की आयु 18 से अधिक है।	☐	☐	
4	जहाँ अग्रणी किसान के रूप में विचार हो, वहाँ आवेदक के पास 3-5 वर्ष का अनुभव है।	☐	☐	
5	आवेदक उन्नत जलीय कृषि पद्धतियों और तकनीकी सलाह को अपनाने के लिए तैयार है।	☐	☐	
6	आवेदक FPG में शामिल होने और समूह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार है।	☐	☐	
7	आवेदक क्लस्टर-आधारित उत्पादन, सामूहिक इनपुट खरीद और सामूहिक विपणन को स्वीकार करता है।	☐	☐	
8	आवेदक प्रशिक्षणों, एक्सपोजर दौरों और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार है।	☐	☐	
9	रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए आवेदक/परिवार साक्षर है।	☐	☐	
10	आवेदक तालाब-स्तरीय उत्पादन, इनपुट, बिक्री और खर्च के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए तैयार है।	☐	☐	
11	आवेदक ने उसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य शासकीय योजना के तहत लाभ नहीं लिया है) डुप्लिकेशन नहीं है(।	☐	☐	
12	आवेदक परियोजना मानदंडों के अनुसार आवश्यकतानुसार निवेश/योगदान करने के लिए तैयार है।	☐	☐	
13	आवेदक पर्यावरण-अनुकूल और जिम्मेदार मछली पालन पद्धतियों के लिए सहमत है।	☐	☐	
14	आवेदक निगरानी, फील्ड दौरों, दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग की अनुमति देने के लिए सहमत है।	☐	☐	
15	प्राथमिकता श्रेणी :छोटे/सीमांत किसान, SC/ST/OBC, महिला, युवा, वैध पट्टे वाले भूमिहीन आदि।	☐	☐	

16	तालाब/पानी के अधिकारों/मत्स्य पालन गतिविधि पर किसी कानूनी/लंबित विवाद की सूचना नहीं है।	☐	☐	
17	आवेदक के पास बैंक खाता है या वह समूह लेनदेन के लिए खाता खोलने/उपयोग करने को तैयार है।	☐	☐	

फ. क्लस्टर / FPG चेकलिस्ट

क्र.सं.	पैरामीटर / चयन मानदंड	हाँ	नहीं	टिप्पणी / अवलोकन
1	प्रस्तावित FPG/क्लस्टर में न्यूनतम 10 और अधिमानतः 10-20 सक्रिय मछली किसान हैं।	☐	☐	
2	समूह की सदस्यता भौगोलिक निकटता और मत्स्य पालन में समान रुचि पर आधारित है।	☐	☐	
3	महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है) लक्ष्य 20-30% महिला सदस्य(।	☐	☐	
4	युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।	☐	☐	
5	सदस्य सामूहिक निर्णय लेने, इनपुट खरीद, संसाधन साझा करने और विपणन समन्वय हेतु सहमत हैं।	☐	☐	
6	सदस्य नियमित बैठकों में भाग लेने और समूह के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सहमत हैं।	☐	☐	
7	सदस्य आवश्यकता के अनुसार समूह/FPG और बैंक खाता खोलने/पंजीकृत करने के लिए तैयार हैं।	☐	☐	
8	समूह गठन के लिए पंचायत/ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण का समर्थन उपलब्ध है या प्राप्त किया जा रहा है।	☐	☐	

ब. सत्यापित / संलग्न दस्तावेज

क्र.सं.	पैरामीटर / चयन मानदंड	हाँ	नहीं	टिप्पणी / अवलोकन
1	आवेदक के पहचान प्रमाण का सत्यापन किया गया।	☐	☐	
2	पते/निवास प्रमाण का सत्यापन किया गया।	☐	☐	
3	तालाब के स्वामित्व रिकॉर्ड / पट्टा समझौता / सामुदायिक आवंटन दस्तावेज का सत्यापन किया गया।	☐	☐	

4	यदि लागू हो, तो दस्तावेज से पट्टा समाप्ति तिथि का सत्यापन किया गया।	☐	☐	
5	बैंक पासबुक/खाते के विवरण का सत्यापन किया गया या आवश्यकता समझाई गई।	☐	☐	
6	यदि आवश्यक हो, तो तालाब के फोटोग्राफ/जीपीएस/स्थान का रिकॉर्ड लिया गया।	☐	☐	
7	यदि आवश्यक हो, तो समुदाय/PRI से पुष्टि प्राप्त की गई।	☐	☐	
8	आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित/अंगूठे का निशान लगाया गया इच्छा का घोषणा पत्र।	☐	☐	

भ. चयन का निर्णय

समग्र पात्रता स्थिति:	☐ पात्र ☐ अपात्र ☐ शर्तों के साथ पात्र	**हस्तक्षेप के लिए अनुशंसित:**	☐ हाँ ☐ नहीं
यदि शर्तों के साथ पात्र हैं, तो शर्तें:	______________________	**प्रस्तावित हस्तक्षेप क्षेत्र:**	________ हेक्टेयर / एकड़

टिप्पणियां / फील्ड अवलोकन:

____

____

____

____

म. किसान द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं UPAGREES तालाब-आधारित मछली उत्पादन हस्तक्षेप में भाग लेने, FPG/क्लस्टर दृष्टिकोण में शामिल होने, प्रशिक्षणों में भाग लेने, अनुशंसित जलीय कृषि पद्धतियों का पालन करने, बुनियादी रिकॉर्ड बनाए रखने और निगरानी तथा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ।

किसान का नाम:	______________________	**हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान:**	______________________
दिनांक:	____/____/______	**स्थान:**	______________________

य. चेकलिस्ट किसके द्वारा भरी गई

नाम:	______________________	**पद:**	______________________
हस्ताक्षर:	______________________	**दिनांक:**	____/____/______

र. चेकलिस्ट किसके द्वारा सत्यापित की गई

नाम:	______________________	**पद:**	______________________
हस्ताक्षर:	______________________	**दिनांक:**	___ / ___ / ____

नोट :इस चेकलिस्ट को सहायक दस्तावेजों और फील्ड फोटोग्राफ्स) जहाँ भी लागू हो (के साथ क्लस्टर/FPG फाइल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार

यू०पी० एग्रीस/ यू०पी० डास्प परियोजना

विश्व बैंक (World Bank) सहायतित परियोजना

मत्स्य उत्पादक समूह (Fish Producer Group - FPG) के गठन एवं संचालन हेतु आदर्श नियमावली एवं उप-नियम

> *प्राक्कथन: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 चयनित जनपदों में कृषि के साथ-साथ मात्स्यिकी क्षेत्र को व्यावसायिक रूप से विकसित करने हेतु 'उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज स्ट्रेंथनिंग सिस्टम' (UPAGREES) परियोजना आगामी 05 वर्षों हेतु संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत मछुआरों एवं मत्स्यपालकों के छोटे-छोटे उत्पादक समूहों (FPGs) का गठन कर क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य संवर्धन (Value Addition) तथा सामूहिक इनपुट क्रय एवं विपणन द्वारा सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।*

अनुभाग 1: समूह का नाम, स्वरूप एवं क्लस्टर दृष्टिकोण

1.1 **नामकरण:** समूह को एक विशिष्ट नाम "____________ मत्स्य उत्पादक समूह (FPG)" से जाना जाएगा (जिसे इस नियमावली में आगे 'समूह' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। यह नाम समूह को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा।

1.2 **समूह का स्वरूप:** समूह एक स्वायत्त, गैर-औपचारिक (Informal) परंतु अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर पंजीकृत और स्वैच्छिक संगठन के रूप में कार्य करेगा, जो संबंधित क्लस्टर क्षेत्र के मछुआरों और मत्स्य पालकों का एक प्रगतिशील मंच होगा।

1.3 **क्लस्टर दृष्टिकोण (Cluster Approach):** समूह का गठन एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र (Cluster) को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच व्यावसायिक सहयोग बढ़ाना, संसाधनों का साझा उपयोग करना, सामूहिक समस्याओं का निवारण करना तथा सदस्यों का आर्थिक व सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करना है।

अनुभाग 2: समूह के उद्देश्य

क) मुख्य उद्देश्य:

- संबंधित क्लस्टर में वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा मत्स्य उत्पादकता, निरंतरता और लाभप्रदता में वृद्धि करना।
- सदस्यों के मध्य मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकों, उन्नत अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) का आदान-प्रदान करना।
- मत्स्य पालन की सामान्य चुनौतियों जैसे- कीट नियंत्रण, रोग प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन और उन्नत इनपुट्स (जैसे- उत्तम मत्स्य बीज व फीड) तक पहुंच को सामूहिक रूप से सुलभ बनाकर सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना।

ख) गौण (सहायक) उद्देश्य:

- पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित, संधारणीय (Sustainable) और सामाजिक रूप से जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
- मत्स्य इनपुट्स (जैसे- पूरक आहार, बीज, दवाएं) की सामूहिक खरीद (Bulk Purchasing) के माध्यम से उत्पादन लागत (Cost of Production) में कमी लाना।
- मत्स्य उत्पादों का सामूहिक विपणन (Collective Marketing) कर मध्यस्थों (बिचौलियों) के शोषण को समाप्त करना और लाभकारी बाजार मूल्य प्राप्त करना।
- सदस्यों के हितों के संरक्षण हेतु संबंधित सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, निजी एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ समन्वय व प्रतिनिधित्व करना।

अनुभाग 3: समूह का पंजीकरण एवं डिजिटल जुड़ाव

3.1 **अनिवार्य पंजीकरण:** यद्यपि समूह का मूल स्वरूप गैर-औपचारिक होगा, तथापि UPAGREES परियोजना के अंतर्गत लाभ एवं वित्तीय अनुदान प्राप्त करने हेतु संबंधित जनपद की जिला परियोजना संचालन इकाई (DPIU) कार्यालय में समूह का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

3.2 **निःशुल्क पंजीकरण एवं कोडिंग:** समूह का पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क होगा। पंजीकरण के पश्चात DPIU कार्यालय द्वारा प्रत्येक समूह को एक विशिष्ट कोड (Unique FPG Code) आवंटित किया जाएगा, जिसे परियोजना मुख्यालय के डिजिटल पोर्टल से लिंक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

अनुभाग 4: सदस्यता पात्रता, अधिकार, कर्तव्य एवं समाप्ति

4.1 सदस्य संख्या एवं पात्रता:

- क्लस्टर के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होगी जो सम्बंधित क्लस्टर की सीमान्तर्गत चिन्हित होगा।
- यह सदस्यता संबंधित क्लस्टर क्षेत्र में निवास करने वाले सभी सक्रिय मछुआरों/मत्स्य पालकों के लिए खुली रहेगी।
- इसके अंतर्गत ग्राम समाज के मत्स्य तालाब पट्टाधारक, निजी तालाबों के स्वामी, मत्स्य बीज नर्सरी संचालक, पूरक आहार (Fish Feed) बनाने वाले लघु उद्यमी तथा पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के सदस्य, जिनकी अभिरुचि मत्स्य व्यवसाय में है, सदस्य बनने के पात्र होंगे।
- प्रत्येक सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य पालन की गतिविधियों से जुड़ा होना अनिवार्य है।
- स्थानीय जल संसाधनों की उपलब्धता और वहन क्षमता के अनुरूप समूह के सदस्यों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।

4.2 सदस्यों के अधिकार:

- समूह की बैठकों में भाग लेने, विचार रखने, निर्णय प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति के चुनाव में मतदान करने का पूर्ण अधिकार।
- UPAGREES परियोजना अथवा सरकार द्वारा समूह को प्रदान किए जाने वाले इनपुट सपोर्ट, तकनीकी संसाधन, शैक्षणिक भ्रमण (Exposure Visits) और प्रशिक्षण का लाभ समतावादी आधार पर प्राप्त करने का अधिकार।

4.3 सदस्यों के कर्तव्य:

- इस नियमावली, उप-नियमों और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करना।
- समूह की गतिविधियों तथा सामूहिक विपणन/खरीद के नवीन प्रयासों में सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- पारस्परिक सहयोग की भावना रखना तथा अपने साथी सदस्यों के साथ मत्स्य पालन से जुड़े व्यावहारिक ज्ञान को साझा करना।

4.4 सदस्यता की समाप्ति:

- **स्वैच्छिक त्याग:** कोई भी सदस्य समूह के अध्यक्ष/सचिव को 15 दिन पूर्व लिखित सूचना और कारण स्पष्ट करते हुए स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ सकता है।
- **निष्कासन:** समूह के नियमों का निरंतर उल्लंघन करने, वित्तीय अनियमितता या अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार करने पर, प्रबंध समिति की विस्तृत समीक्षा और आम सभा के बहुमत के आधार पर किसी भी सदस्य को हटाया जा सकेगा।

अनुभाग 5: संगठनात्मक संरचना एवं प्रबंधन

5.1 समूह नेतृत्व (प्रबंध समिति):

समूह के दैनिक संचालन और प्रशासनिक निर्णयों हेतु सदस्यों की आपसी सहमति (सर्वसम्मति अथवा बहुमत) से एक प्रबंध समिति (Governing Body) का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:

- **अध्यक्ष:** समूह के समग्र समन्वय, बैठकों की अध्यक्षता और नेतृत्व के लिए उत्तरदायी।
- **सचिव:** बैठकों का आयोजन, कार्यवाही विवरण (Minutes Book), सदस्यता सूची और पत्र-व्यवहार का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप पर सुरक्षित रखेंगे। वे DPIU (जनपद स्तर), PMU (राज्य स्तर) और सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (SO) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। (सचिव हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा उनमें सुचारू लेखन क्षमता होनी चाहिए।)
- **कोषाध्यक्ष:** समूह के वित्तीय कोष का प्रबंधन, आय-व्यय का सटीक लेखा-जोखा रखना, बैंक खातों का संचालन (अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से) और बैठकों में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी।

5.2 कार्यकाल एवं कार्यालय:

- प्रबंध समिति का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। कोई भी पदाधिकारी अधिकतम दो लगातार कार्यकालों के लिए पुनः निर्वाचित होने के योग्य हो सकेगा।
- समूह का सदस्यों की सहमति से एक निश्चित स्थान पर स्वैच्छिक कार्यालय होगा। इस कार्यालय कक्ष के किराए आदि के लिए परियोजना के अंतर्गत कोई भुगतान देय नहीं होगा। इस पंजीकृत पते पर भेजी गई कोई भी राजकीय/परियोजना संबंधी संसूचना समूह को प्राप्त हुई मानी जाएगी।

5.3 निर्णय प्रक्रिया:

- समूह के सभी नीतिगत निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे।
- प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत (One Member, One Vote) का अधिकार होगा। विशेष परिस्थितियों में लिखित प्रॉक्सी (Proxy) के माध्यम से मतदान की अनुमति होगी।
- किसी भी बैठक में निर्णय लेने हेतु कुल सदस्यों की दो-तिहाई (2/3) उपस्थिति (कोरम) अनिवार्य होगी।

5.4 बैठकें:

- **मासिक बैठक:** प्रत्येक माह एक नियमित बैठक आयोजित होगी, जिसकी तिथि और स्थान कम से कम एक सप्ताह पूर्व निर्धारित किया जाएगा।
- **आपातकालीन बैठक:** किसी अपरिहार्य परिस्थिति या आकस्मिक संकट की स्थिति में लघु सूचना (Short Notice) पर आपात बैठक बुलाई जा सकती है।
- **वार्षिक आम बैठक (AGM):** वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक होगी, जिसमें वार्षिक उपलब्धियों, ऑडिटेड वित्तीय स्थिति की समीक्षा और आगामी वर्ष की कार्ययोजना को मंजूरी दी जाएगी।
- **बिजनेस प्लान:** बैठकों में स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति के आकलन के आधार पर समूह का 'बिजनेस प्लान' और क्रियान्वयन रणनीति तय होगी।
- **इंडेन्ट (Indent) की तैयारी:** सदस्यों की व्यक्तिगत पूरक इनपुट मांग के आधार पर आवश्यक सामग्रियों का अग्रिम मांग-पत्र (Indent) तैयार कर, प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत संबंधित सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (SO) प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुभाग 6: गतिविधियां, परिचालन एवं क्षमता संवर्धन

6.1 सामूहिक मत्स्य पालन एवं पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन:

- समूह सदस्यों को टिकाऊ और वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे- जैविक आहार विकल्प, उन्नत तालाब प्रबंधन, जल गुणवत्ता बनाए रखना और एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
- फसलोपरांत (Post-Harvest) नुकसान को न्यूनतम करने के लिए कोल्ड चेन, उचित परिवहन और प्राथमिक प्रसंस्करण (Value Addition) के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।
- समूह में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिला मत्स्य उत्पादक समूहों के गठन को प्राथमिकता दी जाएगी तथा उन्हें मत्स्य बीज उत्पादन (हैचरी/नर्सरी), पूरक आहार निर्माण, मूल्य संवर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन कार्यों से जोड़ा जाएगा।

6.2 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:

- सदस्यों को नई तकनीकों, बाजार के रुझानों और रोग निवारण विधियों से अवगत कराने हेतु समय-समय पर तकनीकी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
- आवश्यकतानुसार केंद्रीय/राज्य मात्स्यिकी संस्थानों के विषय विशेषज्ञों (Subject Matter Specialists) को विशेष व्याख्यान व व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- प्रत्येक छमाही (6 महीने) में क्षेत्र के अग्रणी व प्रगतिशील मत्स्य पालकों के साथ विचार-विमर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे और उनके फार्मों पर शैक्षणिक/एक्सपोज़र भ्रमण आयोजित किए जाएंगे।

6.3 संसाधन साझाकरण एवं सामूहिक क्रय:

- लागत प्रभावी बनाने के लिए समूह सामूहिक रूप से उत्तम गुणवत्ता के उत्तम फीड, फिंगरलिंग्स (मत्स्य बीज), औषधियों और जाल/उपकरणों की थोक खरीद की व्यवस्था करेगा।
- समूह के स्वामित्व वाले महँगे उपकरणों (जैसे- एयरेटर, जल परीक्षण किट आदि) के रख-रखाव और उनके उपयोग का विनिमय कोषाध्यक्ष के समन्वय से किया जाएगा।

6.4 विपणन एवं सामूहिक बिक्री:

- सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति (Bargaining Power) बढ़ाने और परिवहन लागत कम करने हेतु समूह स्तर पर सामूहिक बिक्री (Bulk Sales) को प्राथमिकता दी जाएगी।

- संयुक्त बिक्री से प्राप्त शुद्ध लाभ को प्रत्येक सदस्य के उत्पाद योगदान के आनुपातिक अनुपात (Proportionate Basis) में पारदर्शी रूप से वितरित किया जाएगा।

अनुभाग 7: वित्तीय प्रबंधन, कोष एवं आंतरिक ऋण

7.1 कोष संग्रहण एवं बैंक खाता संचालन:

- समूह के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की स्थानीय शाखा में एक संयुक्त बचत खाता खोला जाएगा। इस खाते का संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से समूह के सामूहिक प्रस्ताव (Resolution) के आधार पर ही किया जाएगा।
- समूह के सुचारू संचालन हेतु एक न्यूनतम सदस्यता शुल्क (Membership Fee) तथा आवर्ती अंशदान प्राप्त कर एक संचित कोष (Corpus Fund) स्थापित किया जाएगा।
- UPAGREES परियोजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली मोबिलाइजेशन राशि/अनुदान/कनवर्जेंस धनराशि सीधे इसी बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसके पारदर्शी उपयोग की पूरी जिम्मेदारी प्रबंध समिति की होगी।

7.2 फंड का आबंटन (80:20 नियम) एवं कार्यशील पूंजी:

- **प्रशासनिक व्यय (20%):** परियोजना से प्राप्त कुल अनुदान राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत भाग समूह की बैठकों के आयोजन, विलेखों/अभिलेखों के रख-रखाव तथा न्यूनतम स्वैच्छिक कार्यालय प्रबंधन पर व्यय किया जा सकेगा।
- **कार्यशील पूंजी (80% + 20% सदस्य अंश):** शेष 80 प्रतिशत अनुदान राशि में समूह के सदस्यों द्वारा अपनी ओर से 20 प्रतिशत की अतिरिक्त मैचिंग धनराशि (Equity) मिलाते हुए एक सुदृढ़ कार्यशील पूंजी कोष (Working Capital Fund) बनाया जाएगा। इस पूंजी के आधार पर बैंक से क्रेडिट लिंकेज (ऋण) प्राप्त कर व्यावसायिक गतिविधियों को स्थायी रूप से संचालित किया जाएगा।

7.3 बचत एवं आंतरिक ऋण (Internal Lending):

- समूह के भीतर सदस्यों में बचत की आदत को बढ़ावा देने हेतु आपसी सहमति से प्रति माह एक निश्चित बचत दर निर्धारित की जाएगी।
- इस संचित बचत राशि से समूह के जरूरतमंद सदस्यों को आकस्मिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए 2 प्रचलित ब्याज दर से आंतरिक ऋण (Internal Loan) उपलब्ध कराने का प्रावधान रहेगा, जिससे सदस्य साहूकारों के चंगुल से बच सकें।

7.4 वित्तीय रिकॉर्ड एवं जवाबदेही:

- कोषाध्यक्ष प्रत्येक वित्तीय लेनदेन का रसीद और वाउचर सहित 'कैश बुक' और 'लेजर' में सटीक रिकॉर्ड रखेंगे।
- वित्तीय प्रगति का विवरण प्रत्येक त्रैमासिक बैठक तथा वार्षिक आम बैठक में अनिवार्य रूप से सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- समूह की प्रबंध समिति वित्तीय पारदर्शिता हेतु पूर्णतः जवाबदेह होगी। कोई भी सदस्य 7 दिन पूर्व लिखित अनुरोध देकर समूह के वित्तीय अभिलेखों/खातों का निरीक्षण कर सकता है।

अनुभाग 8: आचार संहिता एवं विवाद निवारण

8.1 सामान्य आचरण: सभी सदस्य एक-दूसरे के प्रति सम्मान, गरिमा और लैंगिक संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करेंगे। समूह के मंच पर किसी भी प्रकार का जाति, वर्ग, धर्म या लिंग आधारित भेदभाव या उत्पीड़न पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

8.2 आंतरिक विवाद निवारण: सदस्यों के बीच व्यावसायिक या व्यक्तिगत मतभेद उत्पन्न होने पर मामला सबसे पहले समूह के भीतर चर्चा हेतु लाया जाएगा, जहाँ अध्यक्ष/प्रबंध समिति मध्यस्थ की भूमिका निभाकर शांतिपूर्ण समाधान कराएगी। यदि विवाद आंतरिक रूप से नहीं सुलझता, तो DPIU/सपोर्ट आर्गेनाइजेशन की सहमति से एक निष्पक्ष बाहरी मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकेगा।

8.3 जिम्मेदार मात्स्यिकी मानक: सभी सदस्य पर्यावरण-अनुकूल और संधारणीय मत्स्य पालन मानकों का पालन करेंगे। यदि कोई सदस्य प्रतिबंधित रसायनों/एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हुए या जल स्रोतों को दूषित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो प्रबंध समिति उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (जिसमें सदस्यता की समाप्ति भी शामिल है) करने हेतु अधिकृत होगी।

अनुभाग 9: नियमावली व उप-नियमों में संशोधन प्रक्रिया

9.1 संशोधन का प्रस्ताव: इस नियमावली या उप-नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन का प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा लिखित रूप में सचिव को प्रस्तुत किया जा सकता है।

9.2 अनुमोदन एवं अंतिम स्वीकृति: इस प्रस्ताव पर विचार करने हेतु आयोजित विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होगा। तदुपरान्त, स्थानीय व्यावहारिक आवश्यकताओं के आधार पर, परियोजना अनुश्रवण इकाई (PMU) की पूर्वानुमति से DPIU द्वारा इस संशोधन को अंतिम रूप से प्रभावी माना जाएगा।

9.3 पूर्व सूचना: प्रस्तावित संशोधन के एजेंडे को संबंधित बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित/डिजिटल माध्यम से प्रसारित किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुभाग 10: समूह का विघटन एवं परिसंपत्ति वितरण

10.1 स्वैच्छिक विघटन: यदि समूह के गठन के उद्देश्य अप्रासंगिक हो जाते हैं या सदस्यों की सहभागिता न्यूनतम स्तर पर आ जाती है, तो आम सभा के दो-तिहाई (2/3) बहुमत के संकल्प पत्र द्वारा समूह को भंग (Disband) किया जा सकेगा। इसकी सूचना तत्काल DPIU को दी जाएगी।

10.2 परिसंपत्तियों का निस्तारण: विघटन की स्थिति में, समूह के बैंक खाते में शेष धनराशि तथा अन्य सामूहिक संपत्तियों का वितरण या तो सभी देनदारियों को चुकता करने के पश्चात सदस्यों के योगदान के अनुपात में कर दिया जाएगा, अथवा सर्वसम्मति से उसी क्लस्टर में समान उद्देश्यों के लिए कार्य कर रही किसी अन्य पंजीकृत संस्था/FPO को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

प्रबंध समिति एवं गवाहों के हस्ताक्षर:

क्र०सं०	**पदनाम / नाम**	**पूर्ण हस्ताक्षर**
1	अध्यक्ष (प्रबंध समिति)	
2	सचिव (प्रबंध समिति)	
3	कोषाध्यक्ष (प्रबंध समिति)	

परिशिष्ट-6

FORMATS FOR POND SURVEY

प्रारूप–1

ग्राम सभा में कुल उपलब्ध तालाबों के सर्वेक्षण का प्रारूप

(फिल्ड सर्वे पर आधारित)

जनपद.................. विकास खण्ड.................. ग्राम पंचायत.................................. ग्राम........................ LGD Code-----------

क0स0	तालाब का गाटा स0	तालाब का जिओ–टैग		तालाब का स्वरूप		'तालाब का स्वामित्व (ग्राम सभा/ निजी/किराये पर/ टाउन एरिया/जिला पंचायत/वन विभाग/सिचाई विभाग)	तालाब में जल की उपलब्धता			जलापूर्ति का श्रोत		
		लैट0	लौग0	प्राकृतिक तालाब	मानव निर्मित तालाब		छः माह	नौ माह	बारह माह	वर्षा	नहर	ट्यूबवेल

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर	पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर	दिनांकः

प्रारूप–1B

ग्राम सभा के स्वामित्व के तालाब पट्टा आवन्टन सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रारूप

जनपद.................. विकास खण्ड.................. ग्राम पंचायत.................................. ग्राम......................... LGD Code-----------

तालाब कोड	तालाब पट्टा आवन्टन की स्थिति		पट्टा अवधि (दि0 से दि0 तक)	पट्टाधारक का नाम	पिता /पति का नाम	निवास का पता	मोबाईल एवं आधार नम्बर	जाति	पट्टे की वार्षिक लगान धनराशि रू0	तालाब सुधार की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत सुधार कार्य हुआ/स्ववित्त पोषिण से विकसित	परियोजना हेतु चयन	
	पट्टे पर आवन्टित	अनावन्टित										हाँ	न्ही

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर	पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर	दिनांकः

प्रारूप–1C

ग्राम सभा के तालाबों में मत्स्य पालन के वर्तमान उपयोग की स्थिति सम्बन्धी प्रारूप

जनपद................ विकास खण्ड................ ग्राम पंचायत................................ ग्राम....................... LGD Code-----------

तालाब कोड	मत्स्य पालन हेतु तालाब के उपयोग की स्थिति		मत्स्य प्रजाति जिनका पालन किया जा रहा है एवं संचित मत्स्य बीज संख्या।	मत्स्य बीज आपूर्ति का श्रोत	मत्स्य पालन में पूरक आहार प्रयुक्त होने की स्थिति।	मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता प्रति कु0/हे0	मत्स्य विक्रय (मत्स्य विकी स्थानीय बाजार से संचालित है अथवा अन्यत्र निष्पादित होता है।	मत्स्य पालन हेतु बैंक ऋण/के0सी0सी0 लिया गया है या नही।	बैंक अकाउन्ट न0 आइ.एफ.एस.सी. कोड सहित।	मत्स्य पालन से शुद्ध आय (रूपये में)	अभियुक्ति
	हाँ	नही									

नोट– मत्स्य पालक/पट्टा धारक यदि किसी सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादक संगठन का सदस्य हो तो उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाये।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर	पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर	दिनांकः

प्रारूप–2
निजी तालाबों का सर्वेक्षण प्रारूप
(0.2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाब)

जनपदः	विकास खण्डः	ग्राम पंचायतः	ग्रामः

क्र.सं.	तालाब कोड	तालाब का नाम/स्थान	तालाब का क्षेत्रफल (हे.)	जल की गहराई (मी.)	जल की उपलब्धता			जल की गुणवत्ता	वर्तमान उपयोग	संभावित मत्स्य उत्पादन (कि.ग्रा./वर्ष)	अभियुक्ति
					6 माह	9 माह	12 माह				

* जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में उपयुक्त कॉलम में (✓) चिह्न लगाएं।

* वर्तमान उपयोगः मत्स्य पालन/सिंचाई/अन्य – उचित विकल्प लिखें।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर	पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर	दिनांकः

प्रारूप–2
व्यक्तिगत निजी तालाब स्वामियों का सर्वेक्षण प्रारूप
(मत्स्य पालन हेतु योग्य निजी तालाब)

जनपदः	विकास खण्डः	ग्राम पंचायतः	ग्रामः

क्र.सं.	तालाब कोड	स्वामी का नाम एवं पता	जाति	मोबाईल/ आधार नं.	तालाब का क्षेत्रफल (हे.)	जल की उपलब्धता (माह)	वर्तमान उपयोग	मत्स्य पालन में रुचि (हाँ/नहीं)	तालाब पट्टे पर देने की इच्छा (हाँ/नहीं)	बैंक खाता संख्या एवं आई. एफ.एस.सी. कोड	अभियुक्ति

* स्वामी की जाति एवं आधार संख्या अनिवार्य रूप से भरें।

* बैंक खाता संख्याः यदि उपलब्ध हो तो अवश्य दर्ज करें।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर	पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर	दिनांकः

प्रारूप–2

किराये/पट्टे पर लिए गए निजी तालाबों में मत्स्य पालन का सर्वेक्षण प्रारूप

(व्यक्तिगत मत्स्य पालक द्वारा निजी तालाब किराये/पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन)

जनपदः	विकास खण्डः	ग्राम पंचायतः	ग्रामः

क्र.सं.	तालाब कोड	पट्टाधारक का नाम एवं पता	मोबाईल/आधार नं.	जाति	पट्टा अवधि (दि. से दि. तक)	वार्षिक लगान राशि (रु.)	तालाब का क्षेत्रफल (हे.)	मत्स्य बीज का स्रोत	मत्स्य उत्पादन (कि.ग्रा./वर्ष)	मत्स्य विक्रय (स्थानीय/बाहर)	बैंक ऋण (हाँ/नहीं) एवं राशि	अभियुक्ति

सर्वेक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर	पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर	दिनांकः

District-wise Annual Target Allocation

Sl. No.	Districts	2026-2027	2027-2028	2028-2029	Total Farmers	2026-2027	2027-2028	2028-2029	Total Groups	2026-2027	2027-2028	2028-2029	Total Area
1	Jaunpur	**400**	600	600	1600	**20**	30	30	80	**240**	360	360	960
2	Chandauli	**200**	400	400	1000	**10**	20	20	50	**120**	240	240	600
3	Varanasi	**200**	400	400	1000	**10**	20	20	50	**120**	240	240	600
4	Ghazipur	**400**	500	500	1400	**20**	25	25	70	**240**	300	300	840
5	Mirzapur	**200**	200	200	600	**10**	10	10	30	**120**	120	120	360
6	Bhadohi	**200**	300	300	800	**10**	15	15	40	**120**	180	180	480
7	Sonbhadra	**200**	300	300	800	**10**	15	15	40	**120**	180	180	480
8	Jalaun	**200**	200	200	600	**10**	10	10	30	**120**	120	120	360
9	Lalitpur	**100**	200	200	500	**5**	10	10	25	**60**	120	120	300
10	Jhansi	**200**	400	400	1000	**10**	20	20	50	**120**	240	240	600
11	Gorakhpur	**400**	800	800	2000	**20**	40	40	100	**240**	480	480	1200
12	Maharajganj	**400**	800	800	2000	**20**	40	40	100	**240**	480	480	1200
13	Kushinagar	**200**	400	400	1000	**10**	20	20	50	**120**	240	240	600
14	Deoria	**400**	400	400	1200	**20**	20	20	60	**240**	240	240	720
15	Ballia	**200**	400	400	1000	**10**	20	20	50	**120**	240	240	600
16	Mau	**200**	400	400	1000	**10**	20	20	50	**120**	240	240	600
17	Azamgarh	**400**	800	800	2000	**20**	40	40	100	**240**	480	480	1200
18	Santkabir Nagar	**200**	400	600	1200	**10**	20	30	60	**120**	240	360	720

Sl. No.	Districts	2026-2027	2027-2028	2028-2029	Total Farmers	2026-2027	2027-2028	2028-2029	Total Groups	2026-2027	2027-2028	2028-2029	Total Area
19	Basti	**200**	600	800	1600	**10**	30	40	80	**120**	360	480	960
20	Siddharthnagar	**400**	600	600	1600	**20**	30	30	80	**240**	360	360	960
21	Banda	**200**	400	400	1000	**10**	20	20	50	**120**	240	240	600
22	Chitrakoot	**200**	200	400	800	**10**	10	20	40	**120**	120	240	480
23	Hamirpur	**200**	200	400	800	**10**	10	20	40	**120**	120	240	480
24	Mahoba	**200**	200	400	800	**10**	10	20	40	**120**	120	240	480
25	Bahraich	**200**	600	800	1600	**10**	30	40	80	**120**	360	480	960
26	Balrampur	**200**	600	600	1400	**10**	30	30	70	**120**	360	360	840
27	Shravasti	**200**	600	600	1400	**10**	30	30	70	**120**	360	360	840
28	Gonda	**200**	600	800	1600	**10**	30	40	80	**120**	360	480	960
	Total	**6900**	**12500**	**13900**	**33300**	**345**	**625**	**695**	**1,665**	**4140**	**7500**	**8340**	**19980**

यू0पी0-एग्रीज योजनांतर्गत "क्लस्टर आधारित तालाबों में अर्द्ध-सघन मत्स्य पालन" परियोजना हेतु जनपदवार लक्ष्यों के अनुरूप मत्स्य बीज (अंगुलिकाएं 80-100 एम0एम0) का विवरण मत्स्य

Sl.No.	District	Area in Ha.				IMC Fingerling Seed Requirement in lacs			
		2026-27	2027-28	2028-29	Total	2026-27	2027-28	2028-29	Total
1	Jaunpur	240	360	360	960	19.20	28.80	28.80	76.80
2	Chandauli	120	240	240	600	9.60	19.20	19.20	48.00
3	Varanasi	120	240	240	600	9.60	19.20	19.20	48.00
4	Ghazipur	240	300	300	840	19.20	24.00	24.00	67.20
5	Mirzapur	120	120	120	360	9.60	9.60	9.60	28.80
6	Bhadohi	120	180	180	480	9.60	14.40	14.40	38.40
7	Sonbhadra	120	180	180	480	9.60	14.40	14.40	38.40
8	Jalaun	120	120	120	360	9.60	9.60	9.60	28.80
9	Lalitpur	60	120	120	300	4.80	9.60	9.60	24.00
10	Jhansi	120	240	240	600	9.60	19.20	19.20	48.00
11	Gorakhpur	240	480	480	1200	19.20	38.40	38.40	96.00
12	Maharajganj	240	480	480	1200	19.20	38.40	38.40	96.00
13	Kushinagar	120	240	240	600	9.60	19.20	19.20	48.00
14	Deoria	240	240	240	720	19.20	19.20	19.20	57.60
15	Ballia	120	240	240	600	9.60	19.20	19.20	48.00
16	Mau	120	240	240	600	9.60	19.20	19.20	48.00
17	Azamgarh	240	480	480	1200	19.20	38.40	38.40	96.00
18	Sant kabir Ngr	120	240	360	720	9.60	19.20	28.80	57.60
19	Basti	120	360	480	960	9.60	28.80	38.40	76.80
19	Siddharth Ngr	240	360	360	960	19.20	28.80	28.80	76.80
20	Banda	120	240	240	600	9.60	19.20	19.20	48.00

Sl.No.	District	Area in Ha.				IMC Fingerling Seed Requirement in lacs			
		2026-27	2027-28	2028-29	Total	2026-27	2027-28	2028-29	Total
21	Chitrakoot	120	120	240	480	9.60	9.60	19.20	38.40
22	Hamirpur	120	120	240	480	9.60	9.60	19.20	38.40
23	Mahoba	120	120	240	480	9.60	9.60	19.20	38.40
24	Bahraich	120	360	480	960	9.60	28.80	38.40	76.80
25	Balrampur	120	360	360	840	9.60	28.80	28.80	67.20
26	Sharvasti	120	360	360	840	9.60	28.80	28.80	67.20
27	Gonda	120	360	480	960	9.60	28.80	38.40	76.80
28	**Total**	**4140**	**7500**	**8340**	**19980**	**331.20**	**600.00**	**667.20**	**1,598.40**

जनपदवार फिश फीड का विवरण

Sl.No.	District	Feed Requirement in Ton				Project Share Feed in ton			
		Y1	Y2	Y3	Total	Y1	Y2	Y3	Total
1	Jaunpur	1,440	2,160	2,160	5,760	840	1,260	1,260	3,360
2	Chandauli	720	1,440	1,440	3,600	420	840	840	2,100
3	Varanasi	720	1,440	1,440	3,600	420	840	840	2,100
4	Ghazipur	1,440	1,800	1,800	5,040	840	1,050	1,050	2,940
5	Mirzapur	720	720	720	2,160	420	420	420	1,260
6	Bhadohi	720	1,080	1,080	2,880	420	630	630	1,680
7	Sonbhadra	720	1,080	1,080	2,880	420	630	630	1,680
8	Jalaun	720	720	720	2,160	420	420	420	1,260
9	Lalitpur	360	720	720	1,800	210	420	420	1,050
10	Jhansi	720	1,440	1,440	3,600	420	840	840	2,100
11	Gorakhpur	1,440	2,880	2,880	7,200	840	1,680	1,680	4,200
12	Maharajganj	1,440	2,880	2,880	7,200	840	1,680	1,680	4,200
13	Kushinagar	720	1,440	1,440	3,600	420	840	840	2,100
14	Deoria	1,440	1,440	1,440	4,320	840	840	840	2,520
15	Ballia	720	1,440	1,440	3,600	420	840	840	2,100
16	Mau	720	1,440	1,440	3,600	420	840	840	2,100
17	Azamgarh	1,440	2,880	2,880	7,200	840	1,680	1,680	4,200
18	Sant kabir Ngr	720	1,440	2,160	4,320	420	840	1,260	2,520
19	Basti	720	2,160	2,880	5,760	420	1,260	1,680	3,360
20	Siddharth Ngr	1,440	2,160	2,160	5,760	840	1,260	1,260	3,360
21	Banda	720	1,440	1,440	3,600	420	840	840	2,100
22	Chitrakoot	720	720	1,440	2,880	420	420	840	1,680

Sl.No.	District	Feed Requirement in Ton				Project Share Feed in ton			
		Y1	Y2	Y3	Total	Y1	Y2	Y3	Total
23	Hamirpur	720	720	1,440	2,880	420	420	840	1,680
24	Mahoba	720	720	1,440	2,880	420	420	840	1,680
25	Bahraich	720	2,160	2,880	5,760	420	1,260	1,680	3,360
26	Balrampur	720	2,160	2,160	5,040	420	1,260	1,260	2,940
27	Sharvasti	720	2,160	2,160	5,040	420	1,260	1,260	2,940
28	Gonda	720	2,160	2,880	5,760	420	1,260	1,680	3,360
	Total	**24,840**	**45,000**	**50,040**	**1,19,880**	**14,490**	**26,250**	**29,190**	**69,930**

Details of Project Share : Year Wise Feed Requirement

Sl.No.	District	Feed for Fingerling stage Fish (28-32% Protein) - 10% of Total feed in Ton				Feed for Fingerling stage Fish (24-28% Protein) - 90% of Total feed in Ton				Project Share Total Feed in ton			
		Y1	Y2	Y3	Total	Y1	Y2	Y3	Total	Y1	Y2	Y3	Total
1	Jaunpur	84	126	126	336	756	1,134	1,134	3,024	840	1,260	1,260	3,360
2	Chandauli	42	84	84	210	378	756	756	1,890	420	840	840	2,100
3	Varanasi	42	84	84	210	378	756	756	1,890	420	840	840	2,100
4	Ghazipur	84	105	105	294	756	945	945	2,646	840	1,050	1,050	2,940
5	Mirzapur	42	42	42	126	378	378	378	1,134	420	420	420	1,260
6	Bhadohi	42	63	63	168	378	567	567	1,512	420	630	630	1,680
7	Sonbhadra	42	63	63	168	378	567	567	1,512	420	630	630	1,680
8	Jalaun	42	42	42	126	378	378	378	1,134	420	420	420	1,260
9	Lalitpur	21	42	42	105	189	378	378	945	210	420	420	1,050
10	Jhansi	42	84	84	210	378	756	756	1,890	420	840	840	2,100
11	Gorakhpur	84	168	168	420	756	1,512	1,512	3,780	840	1,680	1,680	4,200
12	Maharajganj	84	168	168	420	756	1,512	1,512	3,780	840	1,680	1,680	4,200
13	Kushinagar	42	84	84	210	378	756	756	1,890	420	840	840	2,100
14	Deoria	84	84	84	252	756	756	756	2,268	840	840	840	2,520
15	Ballia	42	84	84	210	378	756	756	1,890	420	840	840	2,100
16	Mau	42	84	84	210	378	756	756	1,890	420	840	840	2,100
17	Azamgarh	84	168	168	420	756	1,512	1,512	3,780	840	1,680	1,680	4,200
18	Sant kabir Ngr	42	84	126	252	378	756	1,134	2,268	420	840	1,260	2,520
19	Basti	42	126	168	336	378	1,134	1,512	3,024	420	1,260	1,680	3,360
20	Siddharth Ngr	84	126	126	336	756	1,134	1,134	3,024	840	1,260	1,260	3,360
21	Banda	42	84	84	210	378	756	756	1,890	420	840	840	2,100
22	Chitrakoot	42	42	84	168	378	378	756	1,512	420	420	840	1,680

Sl.No.	District	Feed for Fingerling stage Fish (28-32% Protein) - 10% of Total feed in Ton				Feed for Fingerling stage Fish (24-28% Protein) - 90% of Total feed in Ton				Project Share Total Feed in ton			
		Y1	Y2	Y3			Y1	Y2	Y3			Y1	Y2
23	Hamirpur	42	42	84	168	378	378	756	1,512	420	420	840	1,680
24	Mahoba	42	42	84	168	378	378	756	1,512	420	420	840	1,680
25	Bahraich	42	126	168	336	378	1,134	1,512	3,024	420	1,260	1,680	3,360
26	Balrampur	42	126	126	294	378	1,134	1,134	2,646	420	1,260	1,260	2,940
27	Sharvasti	42	126	126	294	378	1,134	1,134	2,646	420	1,260	1,260	2,940
28	Gonda	42	126	168	336	378	1,134	1,512	3,024	420	1,260	1,680	3,360
	Total	**1,449**	**2,625**	**2,919**	**6,993**	**13,041**	**23,625**	**26,271**	**62,937**	**14,490**	**26,250**	**29,190**	**69,930**